रेलवे
RAILWAY

विवरण 18
Statement. 18

दुर्घटनाओं का विवरण
STATEMENT OF ACCIDENTS

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन
B. G./M. G./N. G.

तालिका 1—.....को समाप्त अवधि/वर्ष के दौरान गाड़ियों की दुर्घटनाओं और उनमें हताहतों की संख्या, क्षति की लागत आदि
TABLE 1—Number of Train Accidents, Casualties, Cost of damage etc. during the period/year ending.....

सम्पूर्ण प्रणाली (सभी ग्रामान)
Whole system (all gauges)

विभिन्न कारणों के अनुसार दुर्घटनाओं की श्रेणी Class of Accidents under various causes.	संख्या Number			यात्रियों की संख्या No. of passengers			रेल कर्मचारियों की संख्या No. of Rly. servants			अन्य Others			हताहतों की कुल संख्या Total all classes			क्षति की अनुमानित लागत Approximate cost of damage to		सीधी संचार व्यवस्था में कुल कितने घंटे व्यवधान रहा Total number of hours during which through communication remained interrupted.				
	भारतीय रेल अधिनियम 1890 (1890 का 9) की धारा 83 के अन्तर्गत स्थानीय सरकार को सूचित की गई दुर्घटनायें Accidents reported to Local Govt. under Sec. 83 of the I. R. A. 1890 (9 of 1890).	रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की गई दुर्घटनाएं Accidents enquired into by Commissioner of Railway Safety.	जोड़ (अन्य दुर्घटनाओं को मिलाकर) Total (including other accidents).	मृत Killed.	घायल Injured: गंभीर Serious.	घायल Injured: मामूली Minor.	मृत Killed.	घायल Injured: गंभीर Serious.	घायल Injured: मामूली Minor.	मृत Killed.	घायल Injured: गंभीर Serious.	घायल Injured: मामूली Minor.	मृत Killed.	घायल Injured: गंभीर Serious.	घायल Injured: मामूली Minor.	क चल स्टाक और इंजन की Rolling Stock and Engines. Rs.	ख रेल पथ की Track. Rs.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. टक्करें Collisions.																						
1.01 सवारी गाड़ियों के बीच टक्कर (सभी को सम्मिलित करना है) निम्नलिखित कारणों से : Collisions between passenger trains (to include all) due to:																						
(क) स्टेशन कर्मचारियों की गलती— (a) Failure of station staff —																						
(1) गाड़ी को स्टेशन पर लेते समय : Reception of a train :																						
(i) कांटों का ठीक तरह न बैठाना Incorrect setting of points.																						

(ii) लाइन का घिरा होना
Line being occupied

(iii) किसी गाड़ी के लिए 'आफ' किए गए सिगनल को फिर से 'आन' न किया जाना
Signals taken off for a train not put back to 'ON'

(iv) जाम पट्टी (फाउलिंग मार्क) का साफ न होना
Fouling mark not clear

(v) शंटिंग के दौरान लाइन की रुकावट
Obstruction of line during shunting

(vi) जोड़
Total

(2) गाड़ी को रवाना करते समय :
Despatch of a train:

(i) कांटों का ठीक तरह से न बैठना
Incorrect setting of points

(ii) अवरुद्ध ब्लाक सेक्शन में भेजना
By sending it into a blocked section

(iii) जाम पट्टी (फाउलिंग मार्क) का साफ न होना
Fouling mark not clear

(iv) शंटिंग के दौरान रुकावट या जाती हुई गाड़ी से टक्कर खाना
Obstruction during shunting or bumping against train going away

(v) जोड़
Total

(ख) ड्राइवरों की गलती :
(b) Driver's failure:

(1) स्वचल सिगनलों की व्यवस्था वाले खंडों पर :
On sections equipped with automatic signals:

(i) 'आन' अवस्था में सिगनल पार करते समय नियमों का पालन न करना Non-observance of rules while passing signal at 'ON'.	भाप Steam
	डीजल Diesel
	बिजली Electric
	जोड़ Total

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(ii) सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितान्त अवहेलना Absolute disregard of signal showing red.	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						
(iii) 'आन' सिगनल के आगे निकल जाना Over-shooting.	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						
(iv) जोड़ Total.	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						
(2) स्वचल-सिगनल-व्यवस्था रहित खंडों पर : On Sections not equipped with automatic signals:																							
(i) 'आन' अवस्था में सिगनल पार करते समय नियमों का पालन न करना Non-observance of rules while passing signal at 'ON'	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						

(ii) सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितांत अवहेलना Absolute disregard of signal showing red.	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total
iii) 'आन' सिगनल के आगे निकल जाना Overshooting.	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total
(iv) जोड़ Total	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total

(ग) अन्य कर्मचारियों की गलती*
(c) Other staff failures*
(घ) उपस्करों की खराबी
(d) Failure of equipment:
(i) ब्रेक शक्ति की खराबी
Failure of brake power.
(ii) असुरक्षित स्थिति में सिगनल के उपकरणों की खराबी
Failure of signalling apparatus on the unsafe side.
(iii) इंजन में खराबी होने के कारण ड्राइवर का ध्यान भंग होने के फलस्वरूप टक्कर होना, जैसे गेज ग्लास का टूटना
Defects in locomotive causing distraction of the driver, resulting in a collision, e. g., bursting of gauge glasses.
(iv) जोड़ Total

*ड्राइवर से भिन्न इंजन कर्मीदल, गार्ड, रेलपथ कर्मचारी, सिगनल व अंतर्पाश कर्मचारी, सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी, इंजन अनुरक्षण कर्मचारी, आदि
*Engine crew other than driver, guard, permanent way staff, signalling and interlocking staff, carriage and wagon staff, loco-maintenance staff, etc.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(ङ) ब्लाक सेक्शन में या स्टेशन पर से वाहन का निकल भागना (e) Vehicles escaping into block section or at the station																						
(च) गाड़ी की तोड़ फोड़ (f) Train wrecking																						
(छ) विविध कारण (g) Misc. causes																						
(ज) जोड़ (क से छ) (h) Total (a to g)																						
1.02 सवारी गाड़ियों और दूसरी गाड़ियों या वाहनों या इंजनों में टक्करें (सभी को सम्मिलित करना है) निम्नलिखित कारणों से : Collision between passenger trains and other trains or vehicles or engines (to include all) due to:																						
(क) स्टेशन कर्मचारियों की गलती : (a) Failure of station staff:																						
(1) गाड़ी को स्टेशन पर लेते समय : Reception of a train—																						
(i) कांटों का ठीक तरह न बैठना Incorrect setting of points																						
(ii) लाइन का घिरा होना Line being occupied																						
(iii) किसी गाड़ी के लिए 'आफ' किए गए सिगनल को फिर से 'आन' न किया जाना Signal taken off for a train not put back to 'ON'																						
(iv) जाम पट्टी (फाउलिंग मार्क) का साफ न होना Fouling mark not clear.																						
(v) शंटिंग के दौरान लाइन की रुकावट Obstruction of line during shunting.																						
(vi) जोड़ Total.																						
(2) गाड़ियों को रवाना करते समय : Despatch of a train:																						
(i) कांटों का ठीक तरह से न बैठना Incorrect setting of points																						
(ii) अवरुद्ध ब्लाक सेक्शन में भेजना By sending it into a blocked section																						
(iii) जाम पट्टी (फाउलिंग मार्क) का साफ न होना Fouling mark not clear																						

(iv) शंटिंग के दौरान रुकावट या जाती हुई गाड़ी से टक्कर खाना Obstruction during shunting or bumping against train going away	
(v) जोड़ Total.	
(ख) ड्राइवरों की गलती : (b) Driver's failure :	
(1) स्वचालित सिगनलों की व्यवस्था वाले खंडों पर : On sections equipped with automatic signals:	
(i) 'आन' अवस्था में सिगनल पार करते समय नियमों का पालन न करना Non-observance of rules while passing signals at 'ON'.	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total
(ii) सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितांत अवहेलना Absolute disregard of signal showing red.	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total
(iii) 'आन' सिगनल से आगे निकल जाना Over-shooting	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total
(iv) जोड़ Total	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total.

विवरण 18–तालिका 1–(जारी)
St. 18–Table 1–(Contd.)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(2) स्वचल-सिगनल-व्यवस्था रहित खंडों पर : On sections not equipped with automatic signals:																							
(i) 'आन' अवस्था में सिगनल पार करते समय नियमों का पालन न करना Non-observance of rules while passing signals at 'ON'	भाप Steam																						
	डीजल Diesel																						
	बिजली Electric																						
	जोड़ Total																						
(ii) सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितांत अवहेलना Absolute disregard of signal showing red	भाप Steam																						
	डीजल Diesel																						
	बिजली Electric																						
	जोड़ Total																						
(iii) 'आन' सिगनल से आगे निकल जाना Over–shooting	भाप Steam																						
	डीजल Diesel																						
	बिजली Electric																						
	जोड़ Total																						
(iv) जोड़ Total	भाप Steam																						
	डीजल Diesel																						
	बिजली Electric																						
	जोड़ Total.																						
(ग) अन्य कर्मचारियों की गलती* (c) Other staff failure*																							
(घ) उपस्करों की खराबी : (d) Failure of equipment: (i) ब्रेक शक्ति में खराबी Failure of brake power																							

(ii) असुरक्षित स्थिति में सिगनल के उपकरणों की खराबी
Failure of signalling apparatus on the unsafe side

(iii) इंजन में खराबी होने के कारण ड्राइवर का ध्यानभंग होने के फलस्वरूप टक्कर होना, जैसे गेज ग्लास का टूटना
Defects in locomotive causing distraction of the driver, resulting in a collision, e.g., bursting of gauge glass

(iv) जोड़
Total

(ङ) ब्लाक सेक्शन में या स्टेशनों पर से वाहन का निकल भागना
(e) Vehicles escaping into block section or at the station
(च) गाड़ी में तोड़-फोड़
(f) Train wrecking
(छ) मोटर ट्रालियां
(g) Motor trolleys
(ज) लारियां
(h) Lorries
(झ) विविध कारण
(i) Misc. causes
(ञ) जोड़ (क से झ)
(j) Total (a to i)

1.03 सवारी गाड़ियों और बफर रोकों (बफर-स्टाप) में टक्कर (सभी को सम्मिलित करना है):
Collisions between passenger trains and buffer stops (to include all) due to:

(क) स्टेशन कर्मचारियों की गलती :
(a) Failure of station staff
(1) गाड़ी को स्टेशन पर लेते समय :
Reception of a train
कांटों का ठीक तरह न बठना
Incorrect setting of points
(2) गाड़ी को रवाना करते समय :
Despatch of a train
कांटों का ठीक तरह न बैठना
Incorrect setting of points

*ड्राइवर से भिन्न इंजन कर्मीदल, गार्ड, रेलपथ कर्मचारी, सिगनल व अंतर्पाश कर्मचारी, सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी, इंजन अनुरक्षण कर्मचारी, आदि
*Engine crew other than driver, guard, permanent way staff, signalling and interlocking staff, carriage and wagon staff, loco-maintenance staff, etc.

St. 18–Table 1–(Contd.)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(ब) ड्राइवरों की गलती : (b) Driver's failures																							
(1) स्वचल सिगनलों की व्यवस्था वाले खण्डों पर : On sections equipped with automatic signals:																							
(i) 'आन' अवस्था में सिगनल पार करते समय नियमों का पालन न करना Non-observance of rules while passing signals at 'ON'	भाप Steam																						
	डीजल Diesel																						
	बिजली Electric																						
	जोड़ Total.																						
(ii) सिगनलों के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितांत अवहेलना Absolute disregard of signal showing red	भाप Steam																						
	डीजल Diesel																						
	बिजली Electric																						
	जोड़ Total.																						
(iii) 'आन' सिगनल से आगे निकल जाना Over–shooting	भाप Steam																						
	डीजल Diesel																						
	बिजली Electric																						
	जोड़ Total.																						
(iv) जोड़ Total	भाप Steam																						
	डीजल Diesel																						
	बिजली Electric																						
	जोड़ Total.																						

(2) स्वचल-सिगनल व्यवस्था रहित खण्डों पर :
On section not equipped with automatic signals:—

(i) 'आन' अवस्था में सिगनल पार करते समय नियमों का पालन न करना Non-observance of rules while passing signals at 'ON'	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total.
(ii) सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसको नितांत अवहेलना Absolute disregard of signal showing red	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total.
(iii) 'आन' सिगनल से आगे निकल जाना Over-shooting	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total.
(iv) जोड़ Total	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(ग) दूसरे कर्मचारियों की गलती *																						
(c) Other staff failures*																						
(घ) उपस्करों की खराबी																						
(d) Failure of equipment:																						
(i) ब्रेक शक्ति की खराबी																						
Failure of brake power																						
(ii) असुरक्षित स्थिति में सिगनल के उपकरण की खराबी																						
Failure of signalling apparatus on the unsafe side																						
(iii) इंजन में खराबी होने के कारण ड्राइवर का ध्यान भंग होने के फलस्वरूप टक्कर हो जाना, जैसे गेज ग्लास का टूटना																						
Defects in locomotive causing distraction of the driver resulting in a collision, that is, bursting of gauge glass																						
(iv) जोड़ Total																						
(ङ) विविध कारण																						
(e) Misc. causes																						
(च) जोड़ (क से ङ)																						
(f) Total (a to e)																						
1.04 माल गाड़ियों और/या पार्सल गाड़ियों और/या कोचिंग गाड़ियों या उनके किसी भाग के बीच टक्करें (शंटिंग के दौरान मामूली टक्करों, जिनमें हुई क्षति का मूल्य 500 रु० से कम हो, को छोड़कर सभी को सम्मिलित करना है) निम्नलिखित कारणों से :—																						
Collisions between goods trains and/or parcel trains and/or coaching trains or part thereof (to include all except light collisions in the course of shunting where the value of the damage done amounts to less than Rs. 500/-) due to:—																						
(क) स्टेशन कर्मचारियों की गलती—																						
(a) Failure of station staff—																						
(1) गाड़ी को स्टेशन पर लेते समय :																						
Reception of a train :																						
(i) कांटों का ठीक तरह से न बैठना																						
Incorrect setting of points																						
(ii) लाइन का घिरा होना																						
Line being occupied																						
(iii) किसी गाड़ी के लिए 'आफ' किये गये सिगनल को फिर से 'आन' न किया जाना																						
Signals taken off for a train not put back to 'ON'																						

(iv) आम पट्टी (फाउलिंग मार्क) का साफ न होना
Fouling mark not clear
(v) शंटिंग के दौरान लाइन की रुकावट
Obstruction of line during shunting
(vi) जोड़ Total
(2) गाड़ी को रवाना करते समय :
Despatch of a train :
(i) कांटों का ठीक तरह न बैठना
Incorrect setting of points
(ii) अवरुद्ध ब्लाक सेक्शन में भेजना
By sending it into a blocked section
(iii) जाम पट्टी (फाउलिंग मार्क) का साफ न होना
Fouling mark not clear
(iv) शंटिंग के दौरान रुकावट के कारण या जाती हुई गाड़ी से टक्कर खाना
Obstruction during shunting or bumping against train going away
(v) जोड़ Total.

(ब) ड्राइवरों की गलती :
(b) Driver's failure :
(1) स्वचल सिगनलों की व्यवस्था वाले खण्डों पर :
On Section equipped with automatic signals :

(i) 'आन' अवस्था में सिगनल से गुजरते समय नियमों का पालन न करना Non-observance of rules while passing signals at 'ON'	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total
(ii) सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितांत अवहेलना Absolute disregard of signal showing red	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total.

*ड्राइवर से भिन्न इंजन कर्मीदल, गार्ड, रेलपथ कर्मचारी, सिगनल व अंतर्पाश कर्मचारी, सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी, इंजन अनुरक्षण कर्मचारी, आदि
*Engine crew other than driver, guard, permanent way staff, signalling and interlocking staff, carriage and wagon staff, loco-maintenance staff, etc.

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(iii) 'आन' सिगनल से आगे निकल जाना Over-shooting	भाप Steam																						
	डीजल Diesel																						
	बिजली Electric																						
	जोड़ Total.																						
(iv) जोड़ Total	भाप Steam																						
	डीजल Diesel																						
	बिजली Electric																						
	जोड़ Total.																						
(2) जहां स्वचल-सिगनल-व्यवस्था रहित खण्डों पर : On Section not equipped with automatic signals:																							
(i) सिगनल की 'आन' अवस्था में आगे निकलते समय नियमों का पालन न करना Non-observance of rules while passing signals at 'ON'	भाप Steam																						
	डीजल Diesel																						
	बिजली Electric																						
	जोड़ Total.																						
(ii) सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितांत अवहेलना Absolute disregard of signal showing red	भाप Steam																						
	डीजल Diesel																						
	बिजली Electric																						
	जोड़ Total.																						

(iii) 'आन' सिगनल के आगे निकल जाना
Over-shooting

भाप
Steam
डीजल
Diesel
बिजली
Electric
जोड़
Total

(iv) जोड़
Total

भाप
Steam
डीजल
Diesel
बिजली
Electric
जोड़
Total.

(ग) अन्य कर्मचारियों की गलती*
(c) Other staff failure*
(घ) उपस्करों की खराबी :
(d) Failure of equipment:
(i) ब्रेक शक्ति की खराबी
Failure of brake power
(ii) असुरक्षित स्थिति में सिगनल के उपकरणों की खराबी
Failure of signalling apparatus on the unsafe side
(iii) इंजन में खराबी के कारण ड्राइवर का ध्यान भंग होने के फलस्वरूप टक्कर होना, जैसे गेज ग्लासों का टूटना
Defect in locomotive causing distraction of the driver resulting in a collision, that is, bursting of gauge glass
(iv) जोड़
Total.
(ङ) ब्लाक सेक्शनों में अथवा स्टेशनों पर से वाहन का निकल भागना
(e) Vehicles escaping into block section or at the station
(च) गाड़ी की तोड़-फोड़
(f) Train wrecking
(छ) मोटर ट्रालियां
(g) Motor trolleys

*ड्राइवर से भिन्न इंजन कर्मीदल, गार्ड, रेलपथ कर्मचारी सिगनल व अंतर्पाश कर्मचारी, सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी, इंजन अनुरक्षण कर्मचारी आदि
*Engine crew other than driver, guard, permanent way staff, signalling and interlocking staff, carriage and wagon staff, loco-maintenance staff, etc.

1	2	3	4	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	22	23
(ज) लारियां (h) Lorries (ऋ) विविध कारण (i) Misc. causes (ञ) जोड़ (क से ऋ) (j) Total (a to i)						
1.05 माल गाड़ियों और बफर रोकों (बफर स्टाप) के बीच टक्करें (तभी सम्मिलित करना है जब कि चल स्टाक पटरी से उतर गया हो, अथवा किसी व्यक्ति या माल की गम्भीर क्षति हो गयी हो जोकि 2,000 रु० से अधिक की हो) निम्नलिखित कारणों से :— Collisions between goods trains and buffer stops (to be incluuded when the rolling stock is derailed, or there is serious damage done to persons or property i. e., in excess of Rs. 2,000) due to :—						
(क) स्टेशन कर्मचारियों की गलती : (a) Failure of station staff :						
(1) गाड़ी को स्टेशन पर लेते समय : Reception of a train :						
(i) कांटों का ठीक तरह से न बैठना incorrect setting of points						
(2) गाड़ी को रवाना करते समय : Despatch of a train :						
(i) कांटों का ठीक तरह से न बैठना incorrect setting of points						
(ख) ड्राइवरों की गलती : (b) Driver's failure :						
(1) स्वचल सिगनलों की व्यवस्था वाले खण्डों पर : On Sections equipped with automatic signals :—						
(i) 'आन' अवस्था में सिगनल से गुजरते समय नियमों का पालन न करना Non-observance of rules while passing signals at 'ON'	भाप Steam					
	डीजल Diesel					
	बिजली Electric					
	जोड़ Total.					

(ii) सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितांत अवहेलना Absolute disregard of signal showing red	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total.
(iii) 'आन' सिगनल से आगे निकल जाना Over-shooting	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total.
(iv) जोड़ Total	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total.

(2) स्वचल-सिगनल-व्यवस्था रहित खण्डों पर :
On sections not equipped with automatic signals :

(i) 'आन' अवस्था में सिगनल से गुजरते समय नियमों का पालन न करना Non-observance of rules while passing signals at 'ON'	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(ii) सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितांत अवहेलना Absolute disregard of signal showing red	भाप Steam																					
	डीजल Diesel																					
	बिजली Electric																					
	जोड़ Total																					
(iii) 'आन' सिगनल स आग निकल जाना Over-shooting	भाप Steam																					
	डीजल Diesel																					
	बिजली Electric																					
	जोड़ Total																					
(iv) जोड़ Total	भाप Steam																					
	डीजल Diesel																					
	बिजली Electric																					
	जोड़ Total.																					
(ग) अन्य कर्मचारियों की गलती* (c) Other staff failures*																						
(घ) उपस्करों की खराबी : (d) Failure of equipment :																						
(i) ब्रेक शक्ति की खराबी Failure of brake power																						
(ii) असुरक्षित स्थिति में सिगनल के उपकरणों की खराबी Failure of signalling apparatus on the unsafe side																						
(iii) इंजन में खराबी होने के कारण ड्राइवर का ध्यान भंग होने के फलस्वरूप टक्कर होना, जैसे गेज ग्लासों का टूटना Defects in locomotive causing distraction of the driver resulting in a collision, that is, bursting of gauge glass																						
(iv) जोड़ Total.																						

(ङ) विविध कारण
(e) Misc. causes
(च) जोड़
(f) Total.

1.06 गाड़ियों की कुल टक्करें(मद 1.01 से 1.05) निम्नलिखित कारणों स :—
Total train collisions(Item 1.01 to 1.05) due to : —

(क) स्टेशन कर्मचारियों की गलती :
(a) Failure of station staff:

(1) गाड़ी स्टेशन पर लेते समय :
Reception of a train :

(i) कांटों का ठीक तरह न बैठना
Incorrect setting of points
(ii) लाइन का घिरा होना
Line being occupied
(iii) गाड़ी के लिये 'आफ' किये गये सिगनल से 'आन' न किया जाना
Signals taken off for a train not put back to'ON'
(iv) जाम पट्टी (फाउलिंग मार्क) का साफ न होना
Fouling mark not clear
(v) शंटिंग के दौरान लाइन की रुकावट
Obstruction of line during shunting
(vi) जोड़
Total.

(2) गाड़ी को रवाना करते समय :
Despatch of a train:

(i) कांटों का ठीक तरह न बैठना
Incorrect setting of points
(ii) अवरुद्ध (ब्लाक) सेक्शनों में भेजना
By sending it into blocked section
(iii) जाम पट्टी (फाउलिंग मार्क) का साथ न होना
Fouling mark not clear
(iv) शंटिंग के दौरान रुकावट या जाती हुई गाड़ी से टक्कर खाना
Obstruction during shunting or bumping against train going away
(v) जोड़
Total.

*ड्राइवर से भिन्न इंजन कर्मीदल, गार्ड, रेलपथ कर्मचारी, सिगनल व अंतर्पाश कर्मचारी, सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी, इंजन अनुरक्षण कर्मचारी, आदि
*Engine crew other than driver, guard, permanent way staff, signalling and interlocking staff, carriage and wagon staff, loco-maintenance staff, etc.

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(ब) ड्राइवरों की गलती — (b) Driver's failure —																							
(1) स्वचल सिगनलों की व्यवस्था वाले खण्डों पर : On sections equipped with automatic signals :																							
(i) 'आन' अवस्था में सिगनल से गुजरते समय नियमों का पालन न करना Non-observance of rules while passing signals at 'ON'	भाप Steam																						
	डीजल Diesel																						
	बिजली Electric																						
	जोड़ Total.																						
(ii) सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितान्त अवहेलना Absolute disregard of signal showing red	भाप Steam																						
	डीजल Diesel																						
	बिजली Electric																						
	जोड़ Total.																						
(iii) 'आन' सिगनल से आगे निकल जाना Over-shooting	भाप Steam																						
	डीजल Diesel																						
	बिजली Electric																						
	जोड़ Total.																						
(iv) जोड़ Total	भाप Steam																						
	डीजल Diesel																						
	बिजली Electric																						
	जोड़ Total.																						

(2) स्वचल-सिगनल व्यवस्था रहित खण्डों पर :
On sections not equipped with automatic signals

(i)	'आन' अवस्था में सिगनल से गुजरते समय नियमों का पालन न करना Non-observance of rules while passing signals at 'ON'	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total.
(ii)	सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितान्त अवहेलना Absolute disregard of signal showing red	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total
(iii)	'आन' सिगनल से आगे निकल जाना Over-shooting	भाप Steam. डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total
(iv)	जोड़ Total	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total

विवरण 18–तालिका 1–(जारी)
St. 18–Table 1–(Contd.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(ग) अन्य कर्मचारियों की गलती*																						
(c) Other staff failures*																						
(घ) उपस्करों की खराबी :																						
(d) Failure of equipment :																						
(i) ब्रेक शक्ति में खराबी Failure of brake power																						
(ii) असुरक्षित स्थिति में सिगनल के उपकरणों की खराबी Failure of signalling apparatus on the unsafe side																						
(iii) इंजन में खराबी होने के कारण ड्राइवर का ध्यान भंग होने के फलस्वरूप टक्कर हो जाना, जैसे गेज ग्लास का टूटना आदि Defects in locomotive causing distraction of the driver, resulting in a collision, that is, bursting of gauge glass																						
(iv) जोड़ Total																						
(ङ) ब्लाक सेक्शनों या स्टेशन पर से वाहन का निकल भागना																						
(e) Vehicles escaping into block section or at the station																						
(च) गाड़ी में तोड़-फोड़																						
(f) Train wrecking																						
(छ) मोटर ट्रालियां																						
(g) Motor trolleys																						
(ज) लारियां																						
(h) Lorries																						
(झ) विविध कारण																						
(i) Misc. causes																						
(ञ) जोड़ (क) से (झ)																						
(j) Total (a to i)																						
1.07 प्रति दस लाख गाड़ी कि० मी० के हिसाब से गाड़ियों की टक्करों की संख्या Number of train collisions per million train kms. :																						
(i) सवारी गाड़ियां** Passenger trains**																						
(ii) अन्य गाड़ियां *** Other trains ***																						
(iii) सभी गाड़ियां All trains																						

1.08 प्रति दस लाख ढोये गये यात्रियों @ के हिसाब से गाड़ी की टक्करों के कारण मृतक और घायल यात्रियों की संख्या
Number of passengers killed/injured due to train collisions per million passengers carried @

2. पटरी से उतरना
Derailments

2.01 (अ) सवारी गाड़ियों का सचालन के बीच में पटरी स उतर जाना (सभी को सम्मिलित करना है) निम्नलिखित कारणों से :—
(A) Derailments of passenger trains in mid-section (to include all) due to :—

(क) मानवीय गलती:
(a) Human failure:

(i) स्टेशन कर्मचारियों की गलती
Failure of station staff
(ii) इंजन कर्मीदल की गलती
Failure of engine crew
(iii) गार्डों की गलती
Failure of guards
(iv) वाणिज्यक कर्मचारियों की गलती
Failure of commercial staff

(क) असम लदान
(a) Uneven loading
(ख) अधिक लदान
(b) Over-loading
(ग) माल का सुरक्षित ढंग से न लादना
(c) Improper securing of loads

*ड्राइवर से भिन्न इंजन कर्मीदल, गार्ड, रेलपथ कर्मचारी सिगनल और अन्तर्पाश कर्मचारी, सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी, इंजन अनुरक्षण कर्मचारी आदि ।
*Engine crew other than driver, guard, permanent way staff, signalling and interlocking staff, carriage and wagon staff, loco maintenance staff, etc.
**मद 1.01 (ज)+1.02(ञ)+1.03(च)÷ विभागीय गाड़ियों को छोड़कर सभी सवारी और मिश्रित गाड़ियों से संबंधित सब कर्षणों के संचयी गाड़ी किलोमीटर, जिनमें इ०एम०यू० (जैसी कि गाड़ियां चल रही हों) और रेलकारों, के किलोमीटर सम्मिलित हों ।
**Items 1.01(h)+1.02(j)+1.03(f)÷ cumulative train kilometres of all tractions relating to all passengers and mixed trains, including EMU (as the trains are run) and rail cars, but excluding departmental trains.
***मद 1.04 (ञ) और 1.05 (च)÷मद 1.07 (i) के लिए सम्मिलित गाड़ी कि० मी० को छोड़कर सभी कर्षणों की सभी गाड़ियों के संचयी किलोमीटर ।
***Items 1.04 (j) and 1.05 (f)÷ cumulative of all train kilometres of all tractions other than those included for item 1.07 (i).
@ढोये नये यात्रियों से आशय प्रत्येक ग्रामान अथवा समस्त प्रणाली पर, जैसा भी सन्दर्भ हो, कुल ढोये गए यात्रियों की संख्या से है ।
@Passengers carried refer to the number carried on each gauge or the system as a whole, as the case may be.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(घ) खुले डिब्बों में असुरक्षित ढंग से किनारों या सिरों के बाहर निकला हुआ माल अथवा अधिकतम चालन आयाम का उल्लंघन करता हुआ माल																						
(d) Load projecting to an unsafe extent beyond the ends or sides of a truck or load infringing the maximum moving dimensions																						
(ङ) जोड़																						
(e) Total																						
(v) अन्य कर्मचारियों की गलती :																						
Failure of other staff:																						
(क) रेलपथ कर्मचारी																						
(a) Permanent way staff																						
(ख) सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी																						
(b) Carriage and wagon staff																						
(ग) सिगनल कर्मचारी																						
(c) Signalling staff																						
(घ) इंजन अनुरक्षण कर्मचारी																						
(d) Loco maintenance staff																						
(ङ) अन्य कर्मचारी																						
(e) Other staff																						
(च) जोड़																						
(f) Total																						
(vi) जोड़ (i से v)																						
Total (i to v)																						
(ख) रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती :																						
(b) Failure of persons other than railway staff :																						
(i) रेलपथ के साथ छेड़छाड़																						
Tampering with track																						
(ii) अन्य विविध गलतियां																						
Other miscellaneous failures																						
(ग) तकनीकी खराबी :																						
(c) Technical failures :																						
(i) इंजन की खराबी																						
Loco defects																						
(ii) ई० एम० यू० गाड़ी की खराबी																						
E. M. U. defects																						
(iii) सवारी और मालडिब्बों की खराबी																						
Carriage and wagon defects																						

(iv) रेलपथ की खराबी
Track defects
(v) बिजली के उपस्करों की खराबी
Electrical defects
(vi) सिगनल के उपकरणों की खराबी
Signalling apparatus defects
(vii) अन्य संरचनाओं की खराबी
Defects in other structures
(viii) जोड़ (ग)
Total (c)
(घ) गाड़ियों की तोड़-फोड़/अवरोधन
(d) Train wrecking/sabotage
(ङ) पशुओं का गाड़ी से कट जाना
(e) Cattle run over
(च) शिलाखण्ड आदि का रेलपथ पर लुढ़क कर आ जाना
(f) Boulders rolling down on the track, etc.
(छ) कई निमित्तों का समुच्चय
(g) By combination of factors
(ज) कारणों का निर्धारण न हो सकना
(h) Cause could not be established
(झ) विविध कारण
(i) Miscellaneous causes
(ण) जोड़ (क) से (झ)
(j) Total (a to i)

2.01 (ब) सवारी गाड़ियों का स्टेशन सीमाओं के अन्दर पटरी से उतर जाना (सभी को सम्मिलित करना है) निम्नलिखित कारणों से :—
(B) Derailments of passenger trains within station limits (to include all) due to:—
(क) मानवीय गलती :
(a) Human failure :
(i) स्टेशन कर्मचारियों की गलती
Failure of station staff
(ii) इंजन कर्मीदल की गलती
Failure of engine crew
(iii) गार्डों की गलती
Failure of guards
(iv) वाणिज्यिक कर्मचारियों की गलती
Failure of commercial staff :
(क) असम लदान
(a) Uneven loading

विवरण 18—तालिका 1—(जारी)
St. 18—Table 1—(Contd.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(ख) अधिक लदान (b) Over-loading																						
(ग) माल को सुरक्षित ढंग से न लादना (c) Improper securing of loads																						
(घ) खुले डिब्बों में असुरक्षित ढंग से किनारों या सिरों के बाहर निकला हुआ माल अथवा अधिकतम चालन आयाम का उल्लंघन करता हुआ माल (d) Load projecting to an unsafe extent beyond the ends or sides of a truck or load infringing the maximum moving dimensions.																						
(ङ) जोड़ (e) Total																						
(v) अन्य कर्मचारियों की गलती : Failure of other staff :																						
(क) रेलपथ कर्मचारी (a) Permanent way staff																						
(ख) सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी (b) Carriage and wagon staff																						
(ग) सिगनल कर्मचारी (c) Signalling staff																						
(घ) इंजन अनुरक्षण कर्मचारी (d) Loco maintenance staff																						
(ङ) अन्य कर्मचारी (e) Other staff																						
(च) जोड़ (f) Total																						
(vi) जोड़ (i से v) Total (i to v)																						
(ख) रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती : (b) Failure of persons other than railway staff :																						
(i) रेलपथ के साथ छेड़छाड़ Tampering with track																						
(ii) अन्य विविध गलतियां Other miscellaneous failure																						
(ग) तकनीकी खराबी : (c) Technical Failures :																						
(i) इंजन की खराबी Loco defects																						

(ii) ई० एम० यू० गाड़ी की खराबी
E. M. U. defects
(iii) सवारी और मालडिब्बों की खराबी
Carriage and wagon defects
(iv) रेलपथ की खराबी
Track defects
(v) बिजली के उपस्करों की खराबी
Electrical defects
(vi) सिगनल के उपकरणों की खराबी
Signalling apparatus defects
(vii) अन्य संरचनाओं की खराबी
Defects in other structures
(viii) जोड़ (ग)
Total (c)
(घ) गाड़ियों की तोड़-फोड़/अवरोधन
(d) Train wrecking/sabotage
(ङ) पशुओं का गाड़ी से कट जाना
(e) Cattle run over
(च) शिलाखंड आदि का रेलपथ पर लुढ़क कर आ जाना
(f) Boulders rolling down on the track, etc.
(छ) कई निमित्तों का समुच्चय
(g) By combination of factors
(ज) कारण का निर्धारण न हो सकना
(h) Cause could not be established
(झ) विविध कारण
(i) Miscellaneous causes
(ञ) जोड़ (क से झ)
(j) Total (a to i)

2.02 (अ) सवारी गाड़ियों से भिन्न अन्य गाड़ियों का संचलन के बीच में पटरी से उतर जाना (सभी को सम्मिलित करना है) निम्नलिखित कारणों से :

(A) Derailments of other than passenger trains in mid-section (to include all) due to :—

(क) मानवीय गलती :

(a) Human failure :

(i) स्टेशन कर्मचारियों की गलती
Failure of station staff
(ii) इंजन कर्मीदल की गलती
Failure of engine crew
(iii) गार्डों की गलती
Failure of guards

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(iv) वाणिज्यिक कर्मचारियों की गलती : Failure of commercial staff : (क) असम लदान (a) Uneven loading (ख) अधिक लदान (b) Over-loading (ग) माल को सुरक्षित ढंग से न लादना (c) Improper securing of loads (घ) खुले डिब्बों में असुरक्षित ढंग से किनारों और सिरों के बाहर निकला हुआ माल अथवा अधिकतम चालन आयाम का उल्लंघन करता हुआ माल (d) Load projecting to an unsafe extent beyond the ends or sides of a truck or load infringing the maximum moving dimensions (ङ) जोड़ (e) Total																						
(v) अन्य कर्मचारियों की गलती : Failure of other staff : (क) रेलपथ कर्मचारी (a) Pemanent way staff (ख) सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी (b) Carriage and wagon staff (ग) सिगनल कर्मचारी (c) Signalling staff (घ) इंजन अनुरक्षण कर्मचारी (d) Loco maintenance staff (ङ) अन्य कर्मचारी (e) Other staff (च) जोड़ (f) Total																						
(vi) जोड़ (i) से (v) Total (i to v)																						
(ख) रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती : (b) Failure of persons other than railway staff : (i) रेलपथ के साथ छेड़-छाड़ Tampering with track																						
(ii) अन्य विविध गलतियां Other miscellaneous failure																						

(ग) तकनीकी खराबी :
(c) Technical failure :
(i) इंजन की खराबी
Loco defects
(ii) सवारी और मालडिब्बों की खराबी
Carriage and wagon defects
(iii) रेलपथ की खराबी
Track defects
(iv) बिजली के उपस्करों की खराबी
Electrical defects
(v) सिगनल के उपकरणों की खराबी
Signalling apparatus defects
(vi) अन्य संरचनाओं की खराबी
Defects in other structures
(vii) जोड़ (ग)
Total (c)
(घ) गाड़ियों की तोड़-फोड़/अवरोधन
(d) Train wrecking/sabotage
(ङ) पशुओं का गाड़ी से कट जाना
(e) Cattle run over
(च) शिलाखंड आदि का रेल पथ पर लुढ़क कर आ जाना
(f) Boulders rolling down on the track, etc.
(छ) कई निमित्तों का समुच्चय
(g) By combination of factors
(ज) कारणों का निर्धारण न हो सकना
(h) Cause could not be established
(झ) विविध कारण
(i) Miscellaneous causes
(ञ) जोड़ (क से झ)
(j) Total (a to i)

2.02 (ब) सवारी गाड़ियों के अलावा अन्य गाड़ियों का स्टेशन सीमा के अन्दर पटरी से उतर जाना (सभी को सम्मिलित करना है) निम्नलिखित कारणों से :—
(B) Derailments of other than passenger trains withir station limits (to include all) due to :

(क) मानवीय गलती :
(a) Human failure :
(i) स्टेशन कर्मचारियों की गलती
Failure of station staff

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(ii) इंजन कर्मीदल की गलती Failure of engine crew																						
(iii) गार्डों की गलती Failure of guards																						
(iv) वाणिज्यिक कर्मचारियों की गलती : Failure of commercial staff :																						
(क) असम लदान (a) Uneven loading																						
(ख) अधिक लदान (b) Over-loading																						
(ग) माल का सुरक्षित ढंग से न लादना (c) Improper securing of loads																						
(घ) खुले डिब्बों में असुरक्षित ढंग से किनारों या सिरों से बाहर निकला हुआ माल अथवा अधिकतम चालन आयाम का उल्लंघन करता हुआ माल (d) Load projecting to an unsafe extent beyond the ends or sides of a truck or load infringing the maximum moving dimensions																						
(ङ) जोड़ (e) Total																						
(v) अन्य कर्मचारियों की गलती : Failure of other staff :																						
(क) रेलपथ कर्मचारी (a) Permanent way staff																						
(ख) सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी (b) Carriage and wagon staff																						
(ग) सिगनल कर्मचारी (c) Signalling staff																						
(घ) इंजन अनुरक्षण कर्मचारी (d) Loco maintenance staff																						
(ङ) अन्य कर्मचारी (e) Other staff																						
(च) जोड़ (f) Total																						

(vi) जोड़ (i से v)
Total (i to v)

(ख) रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती :
(b) Failure of persons other than railway staff :

(i) रेलपथ के साथ छेड़-छाड़
Tampering with track

(ii) अन्य विविध गलतियां
Other miscellaneous failure

(ग) तकनीकी खराबी :
(c) Technical failures :

(i) इंजन की खराबी
Loco defects

(ii) सवारी और मालडिब्बों की खराबी
Carriage and wagon defects

(iii) रेलपथ की खराबी
Track defects

(iv) बिजली के उपस्करों की खराबी
Electrical defects

(v) सिगनल के उपकरणों की खराबी
Signalling apparatus defects

(vi) अन्य संरचनाओं की खराबी
Defects in other structures

(vii) जोड़ (ग)
Total (c)

(घ) गाड़ियों की तोड़-फोड़/अवरोधन
(d) Train wrecking/sabotage
(ङ) पशुओं का गाड़ी से कट जाना
(e) Cattle run over
(च) शिलाखंड आदि का रेलपथ पर लुढ़क कर आ जाना
(f) Boulders rolling down on the track, etc.
(छ) कई निमित्तों का समुच्चय
(g) By combination of factors
(ज) कारण का निर्धारण न हो सकना
(h) Cause could not be established
(झ) विविध कारण
(i) Miscellaneous causes
(ञ) जोड़ (क से झ)
(j) Total (a to i)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.03 (अ) गाड़ियों के सैक्शन के बीच में, पटरी से उतरने की कुल संख्या [मद 2.01 (अ) +2.02 (अ)] निम्नलिखित कारणों से :— (A) Total train derailments in mid-section [Items 2.01(A) +2.02 (A)] due to :—																						
(क) मानवीय गलती : (a) Human failure :																						
(i) स्टेशन कर्मचारियों की गलती Failure of station staff																						
(ii) इंजन कर्मी-दल की गलती Failure of engine crew																						
(iii) गार्डों की गलती Failure of guards																						
(iv) वाणिज्यिक कर्मचारियों की गलती: Failure of commercial staff:																						
(क) असम लदान (a) Uneven loading																						
(ख) अधिक लदान (b) Over-loading																						
(ग) माल को सुरक्षित ढंग से न लादना (c) Improper securing of loads																						
(घ) खुले डिब्बों में असुरक्षित ढंग से किनारों और सिरों से बाहर निकला हुआ माल अधिकतम चालन आयाम का उल्लंघन करता हुआ (d) Load projecting to an unsafe extent beyond the ends or sides of a truck or load infringing the maximum moving dimensions																						
(ङ) जोड़ (e) Total																						
(v) अन्य कर्मचारिदों की गलती : Failure of other staff:																						
(क) रेलपथ कर्मचारी (a) Permanent way staff																						
(ख) सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी (b) Carriage and wagon staff																						
(ग) सिगनल कर्मचारी (c) Signalling staff																						
(घ) इंजन अनुरक्षण कर्मचारी (d) Loco maintenance staff																						

(ङ) अन्य कर्मचारी
(e) Other staff
(vi) जोड़ (i से v)
Total (i to v)

(ख) रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती:
(b) Failure of persons other than railway staff :
(i) रेलपथ के साथ छेड़-छाड़
Tampering with track
(ii) अन्य विविध गलतियां
Other miscellaneous failure

(ग) तकनीकी खराबी :
(c) Technical failures :
(i) इंजन की खराबी
Loco defects
(ii) ई०एम०यू० की खराबी
E. M. U. defects
(iii) सवारी और मालडिब्बों की खराबी
Carriage and wagon defects
(iv) रेलपथ की खराबी
Track defects
(v) बिजली के उपस्करों की खराबी
Electrical defects
(vi) सिगनल के उपकरणों की खराबी
Signalling apparatus defects
(vii) अन्य संरचनाओं की खराबी
Defects in other structures
(viii) जोड़ (ग)
Total (c)

(घ) गाड़ियों की तोड़-फोड़/अवरोधन
(d) Train wrecking/sabotage
(ङ) पशुओं का गाड़ी से कट जाना
(e) Cattle run over
(च) शिलाखंड आदि का रेल पथ पर लुढ़क कर आ जाना
(f) Boulders rolling down on the track, etc.
(छ) कई निमित्तों का समुच्चय
(g) By combination of factors
(ज) कारणों का निर्धारण न हो सकना
(h) Cause could not be established

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(झ) विविध कारण (i) Miscellaneous causes																						
(ञ) जोड़ (क से झ) (j) Total (a) to (i)																						
2.04 (अ) प्रति दस लाख गाड़ी कि०मी० के हिसाब से गाड़ियों के, सेक्शन के बीच में पटरी से उतर जाने की संख्या (A) No. of train derailments in mid-section per million train kilometres :																						
(i) सवारी गाड़ियां** Passenger trains **																						
(ii) अन्य गाड़ियां*** Other trains***																						
(iii) सभी गाड़ियां All trains																						
2.05 (अ) प्रति दस लाख ले जाए गये यात्रियों@ के हिसाब से गाड़ियों के पटरी से उतरने के कारण मृतक /घायल यात्रियों की संख्या (A) No. of passengers killed/injured due to derailments in mid-section per million passengers carried @																						
2.03 (अ) गाड़ियों के स्टेशन सीमा के अन्दर पटरी से उतरने की कुल संख्या [मद 2.01 (ब) + 2.02 (ब)] निम्नलिखित कारणों से :— (B) Total train derailments within station limits [Items 2.01 (B) + 2.02 (B)] due to :—																						
(क) मानवीय गलती : (a) Human failure :																						
(i) स्टेशन कर्मचारियों की गलती Failure of station staff																						
(ii) इंजन कर्मी-दल की गलती Failure of engine crew																						
(iii) गार्डों की गलती Failure of guards																						
(iv) वाणिज्यक कर्मचारियों की गलती : Failure of commercial staff :																						
(क) असम लदान (a) Uneven loading																						
(ख) अधिक लदान (b) Over-loading																						

(ग) माल को सुरक्षित ढंग से न लादना
(c) Improper securing of loads
(घ) खुले डिब्बों में असुरक्षित ढंग से किनारों और सिरों से बाहर निकला हुआ माल अथवा अधिकतम चालन आयाम का उल्लंघन करता हुआ माल
(d) Load projecting to an unsafe extent beyond the ends or sides of a truck or load infringing the maximum moving dimensions
(ङ) जोड़
(e) Total

(v) अन्य कर्मचारियों की गलती :
Failure of other staff :
(क) रेलपथ कर्मचारी
(a) Permanent way staff
(ख) सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी
(b) Carriage and wagon staff
(ग) सिगनल कर्मचारी
(c) Signalling staff
(घ) इंजन अनुरक्षण कर्मचारी
(d) Loco maintenance staff
(ङ) अन्य कर्मचारी
(e) Other staff
(च) जोड़
(f) Total

(vi) जोड़ (i) से (v)
Total (i to v)

(ख) रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती :
(b) Failure of persons other than railway staff :
(i) रेलपथ के साथ छेड़-छाड़
Tampering with track
(ii) अन्य विविध गलतियां
Other miscellaneous failure

**मद संख्या 2.01 (अ) (झ)÷ विभागीय गाड़ियों को छोड़कर सभी सवारी और मिश्रित गाड़ियों से सम्बन्धित सब कर्षणों के संचयी गाड़ी किलोमीटर, जिनमें ई० एम० यू० (जैसी कि गाड़ियां चल रही हों) और रेल कारों के किलोमीटर सम्मिलित हैं ।

**Item 2.01 (A)(i)÷ Cumulative train kms. of all tractions relating to all passenger and mixed trains including EMU (as the trains are run) and rail cars, but excluding departmental.

***मद 2.02 (अ) (ञ)÷मद 2.04 (1) के लिए सम्मिलित गाड़ी कि०मी० को छोड़ कर समस्त कर्षणों की सभी गाड़ियों के संचयी किलोमीटर ।

***Item 2.02 (A) (j)÷ All train kilometres of all tractions (cumulative) other than those included for item 2.04 (A) (i).

@ढोये गये यात्रियों से आशय, प्रत्येक श्रामान अथवा समस्त प्रणाली पर, जैसा भी संदर्भ हो, ढोये गए यात्रियों की संख्या से है ।

@Passengers carried refer to the number carried on each gauge or the system as a whole, as the case may be.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(ग) तकनीकी खराबी : (c) Technical failure: (i) इंजन की खराबी Loco defects (ii) ई० एम० यू० गाड़ी की खराबी E. M. U. defects (iii) सवारी और मालडिब्बे की खराबी Carriage and wagon defects (iv) रेलपथ की खराबी Track defects (v) बिजली के उपस्करों की खराबी Electrical defects (vi) सिगनल के उपकरणों की खराबी Signalling apparatus defect. (vii) अन्य संरचनाओं की खराबी Defects in other structures (viii) जोड़ (ग) Total (c) (घ) गाड़ियों की तोड़-फोड़/अवरोधन (d) Train wrecking/sabotage (ङ) पशुओं का गाड़ी से कट जाना (e) Cattle run over (च) शिलाखण्ड आदि का रेलपथ पर लुढ़क कर आ जाना (f) Boulders rolling down on the track, etc. (छ) कई निमित्तों का समुच्चय (g) By combination of factors (ज) कारणों का निर्धारण न हो सकना (h) Cause could not be established (झ) विविध कारण (i) Miscellaneous causes (ञ) जोड़ (क से झ) (j) Total (a to i)																						
2.04 (ख) प्रति दस लाख गाड़ी किलोमीटर के हिसाब से गाड़ियों के, स्टेशन सीमा के अन्दर पटरी से उतर जाने की संख्या (B) Number of train derailments within station limits per million train kilometres: (i) सवारी गाड़ियां** Passenger trains**																						

(ii) अन्य गाड़ियां***
Other trains ***
(iii) सभी गाड़ियां
All trains.

2.05 (ब) प्रति दस लाख ले जाये गए यात्रियों@ के हिसाब से गाड़ियों के स्टेशन सीमा में, पटरी से उतरने के कारण मृतक/घायल यात्रियों की संख्या
(B) Number of passengers killed/injured due to derailments within station limits per million passengers carried @

3. गाड़ियों में आग लगना :
Fires in trains.

3.01 सवारी और मिश्रित गाड़ियों में, ई० एम० यू० गाड़ियों को छोड़कर, आग लगना (उन सभी मामलों को सम्मिलित करना है जिनमें मृत्यु हुई हो या घायल हुआ हो या संपत्ति को क्षति 500 रुपये और उससे अधिक मूल्य की हो। जिन मामलों में संपत्ति को क्षति 500 रुपये से कम की हो उन्हें तालिका 3 की मद 5 के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा) निम्नलिखित कारणों से :
Fires in passenger and mixed trains other than E. M. U. (To include all cases where it results in death or injury or damage to property amounting to Rs. 500 and above. Cases involving damages of less than Rs. 500 will be accounted for under item 5 of Table 3) due to:

(क) बिजली की खराबियां (बिजली के उपस्करों में खराबी या उनका फेल हो जाना अथवा बिजली के तारों का शार्ट सर्किटिंग हो जाना)
(a) Electrical defects (defects in or failure of electrical equipment or short circuiting of electrical wires)

(ख) यात्रियों और अन्य बाहरी लोगों की असावधानी (जैसे बीड़ी और सिगरेट के जलते हुये टुकड़ों को लापरवाही से फेंक दिया जाना, सवारी और माल-डिब्बों में आग जलाना, ज्वलनशील माल ले जाना आदि)
(b) Negligence of passengers and other outsiders (i.e., bidi and cigarette ends thrown carelessly, lighting of fires in coaches and wagons, carrying of inflammable goods, etc.)

***मद सं. 2.01 (ब) (ज) ÷विभागीय गाड़ियों को छोड़ कर सभी सवारी और मिश्रित गाड़ियों से संबंधित सब कर्षणों के संचयी गाड़ी किलोमीटर, ई०एम०यू० (जैसी कि गाड़ियां चल रही हों) और रेल कारों के किलोमीटर सम्मिलित हैं।

**Items 2.01 (B) (j)÷cumulative train kilometres of all tractions relating to all passenger and mixed trains, including EMU (as the trains are run) and rail cars, but excluding departmental.

***मद 2.02 (ब) (ञ) ÷मद 2.04 ब (1) के लिये सम्मिलित गाड़ी कि० मी० को छोड़ कर समस्त कर्षणों की सभी गाड़ियों के संचयी किलोमीटर।

***Items 2.02 (B) (j)÷ cumulative all train kilometres of all tractions other than those included for item 2.04 (B) (i).

@ढोये गये यात्रियों से आशय, प्रत्येक आमान अथवा समस्त प्रणाली पर जैसा भी संदर्भ हो, ढोये गये यात्रियों की संख्या से है।

@Passengers carried refer to the number carried on each gauge or the system as a whole, as the case may be.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(ग) रेल कर्मचारियों की असावधानी, जैसे विस्फोटक, खतरनाक, या ज्वलनशील माल के लदान की सही ढंग से जांच न करना, ठीक से शंटिंग न करना, गलत विन्यास आदि																						
(c) Negligence of railway staff, e.g., improper examination of loading of explosives, dangerous or inflammable goods, rough shunting, wrong marshalling, etc.																						
(i) ज्वलनशील माल Inflammable goods																						
(ii) विस्फोटक और खतरनाक माल Explosives and dangerous goods																						
(च) आकस्मिक, उदाहरण के लिए फिटिंग की उठाईगीरी के कारण तारों का संपर्क में आ जाना, प्वाइन्टों का अधिक गर्म हो जाना, आदि																						
(d) Accidental, e.g., wire contacts due to pilferage of fittings, over-heating of points, etc.																						
(छ) इंजन से चिनगारियां																						
(e) Sparks from engine																						
(ज) कारणों का निश्चित न होना																						
(f) Causes not determined																						
(झ) कारणों का निर्धारण न हो सकना																						
(g) Causes not finalised																						
(ञ) जोड़ (क से छ)																						
(h) Total (a to g)																						
3.02 ई० एम० यू० गाड़ियों में आग लगना (उन सभी मामलों को सम्मिलित करना है जिनमें मृत्यु हुई हो या कोई घायल हुआ हो या संपत्ति की क्षति 500 रुपये और उससे अधिक मूल्य की हो। उन मामलों को जिनमें संपत्ति की क्षति 500 रुपये से कम की हो तालिका 3 की मद 5 के अंतर्गत सम्मिलित किया जायेगा। ऐसे मामले जिनमें आग ई० एम० यू० गाड़ी के निम्न/उच्च टेंशन डिब्बों तक ही सीमित रहे बिजली या डीजल इंजन में आग का मामला समझा जाएगा और उसे तालिका 2 की मद 1.05 में शामिल किया जाएगा। निम्नलिखित कारणों से:–																						
Fires in E.M.U. trains (To include all cases where the fires spread out to passenger carrying portions resulting in death or injury or damage to property amounting to Rs. 500/- and above. Cases involving damages of less than Rs. 500/- shall be accounted for under item 5 of Table 3. Cases where the fires confine to low/high tension compartments of E. M. U. stock shall be treated as fires in diesel or electric engine and be included																						

under item 1.05 of Table 2) due to :

(क) यात्रियों और अन्य बाहरी लोगों की असावधानी (जैसे बीड़ी और सिगरेट के जलते हुए टुकड़ों का लापरवाही से फेंक दिया जाना, सवारी और मालडिब्बों में आग जलाना, ज्वलनशील माल ले जाना आदि)

(a) Negligence of passengers and other outsiders (i. e., bidi and cigarette ends thrown carelessly, lighting of fires in coaches and wagons,carrying of inflammable goods, etc.)

(ख) रेल कर्मचारियों की असावधानी जैसे विस्फोटक खतरनाक या ज्वलनशील माल के लदान की सही ढंग से जांच न करना, ठीक से शंटिंग न करना व गलत विन्यास आदि

(b) Negligence of railway staff, e. g. improper examination of loading of explosives, dangerous or inflammable goods, rough shunting, wrong marshalling, etc.

(i) ज्वलनशील माल
Inflammable goods

(ii) विस्फोटक एवं खतरनाक माल
explosives and dangerous goods

(ग) आकस्मिक उदाहरण के लिए फिटिंग की उठाईगीरी के कारण तारों का संपर्क में आ जाना, प्वाइंटों आदि का अधिक गर्म हो जाना

(c) Accidental e. g., wire contacts due to pilferage of fittings, overheating of points etc.

(घ) कारण निश्चित न होना

(d) Causes not determined

(ङ) कारणों का निर्धारण न हो सकना

(e) Causes not finalised

(च) जोड़ (क से ङ)

(f) Total (a to e)

3.03 अन्य गाड़ियों में आग लगना (उन सभी मामलों को सम्मिलित करना है जिनमें मृत्यु हुई हो या घायल हुआ हो या संपत्ति की क्षति 500 रुपये या उससे अधिक मूल्य की हो। उन मामलों को जिनमें संपत्ति की क्षति 500 रुपये से कम की हो उन्हें तालिका 3 की मद 5 के अंतर्गत सम्मिलित किया जायेगा)। निम्नलिखित कारणों से:—

Fires in other trains. (To include all cases where it results in death or injury or damage to property amounting to Rs. 500/- and above. Cases involving damages of less than Rs. 500/- will be accounted for under item 5 of Table 3) due to:

(क) बिजली की खराबियां (बिजली के उपस्कर में खराबी या उसका फेल हो जाना अथवा बिजली के तारों का शार्ट सर्किटिंग हो जाना)

(a) Electrical defects (defects in or failure of electrical equipment or short circuiting of electrical wires)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

(ख) यात्रियों और अन्य बाहरी लोगों की असावधानी (जैसे बीड़ी और सिगरेट के जलते हुए टुकड़ों का लापरवाही से फेंक दिया जाना, सवारी और मालडिब्बों में आग जलाना, ज्वलनशील माल ले जाना आदि)

(b) Negligence of passengers and other outsiders (i. e. bidi and cigarette ends thrown carelessly, lighting of fires in coaches and wagons, carrying of inflammable goods, etc.)

(ग) रेल कर्मचारियों की असावधानी,जैसे विस्फोटक, खतरनाक, या ज्वलनशील माल के लदान की सही ढंग से जांच न करना, ठीक से शंटिंग न करना व गलत विन्यास आदि

(c) Negligence of railway staff, e.g., improper examination of loading of explosives, dangerous or inflammable goods, rough shunting, wrong marshalling, etc.

(i) ज्वलनशील माल
Inflammable goods

(ii) विस्फोटक और खतरनाक माल
Explosives and dangerous goods

(घ) आकस्मिक, उदाहरण के लिए फिटिंग की उठाईगीरी के कारण तारों का संपर्क में आ जाना, प्वाइंटों का गर्म हो जाना आदि

(d) Accidental, e. g., wire contacts due to pilferage of fittings, overheating of points, etc.

(ङ) इंजन से चिनगारियां

(e) Sparks from engines

(च) कारण निश्चित न हो सकना

(f) Causes not determined

(छ) कारणों का निर्धारण न हो सकना

(g) Causes not finalised

(ज) जोड़ (क से छ)

(h) Total (a to g)

3.04 गाड़ियों में आग लगने की कुल घटनाएं (3.01 से 3.03) (उन सभी मामलों को सम्मिलित करना है जिनमें मृत्यु हुई हो या घायल हुआ हो या सम्पत्ति की क्षति 500 रुपये या उससे अधिक मूल्य की हो। उन मामलों को जिनमें सम्पत्ति की क्षति 500 रुपये से कम की हो उन्हें तालिका 3 की मद 5 के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा) निम्नलिखित कारणों से:—

Total fires in trains (3.01 to 3.03) (to include all cases where it results in death or injury or damage to property amounting to Rs. 500/- and above. Cases involving damages of less

than Rs. 500/- will be accounted for under item 5 of table 3) due to:

(क) बिजली की खराबिया (बिजली के उपस्कर में खराबी या उसका फेल हो जाना अथवा बिजली के तारों का शार्ट सर्किटिंग हो जाना)

(a) Electrical defects (defects in or failure of electrical equipment or short-circuiting of electrical wires)

(ख) यात्रियों और अन्य बाहरी लोगों की असावधानी (जैसे बीड़ी और सिगरेट के जलते हुए टुकड़ों का लापरवाही से फेंक दिया जाना, सवारी और माल-डिब्बों में आग जलाना, ज्वलनशील माल ले जाना आदि)।

(b) Negligence of passengers and other outsiders (i. e., bidi and cigarette ends thrown carelessly, lighting of fires in coaches and wagons, carrying of inflammable goods etc.)

(ग) रेल कर्मचारियों की असावधानी ,जैसे विस्फोटक, खतरनाक, या ज्वलन-शील माल के लदान की सही ढंग से जांच न करना, ठीक से शंटिंग न करना व गलत विन्यास आदि।

(c) Negligence of railway staff, e. g. improper examination of loading of explosives, dangerous or inflammable goods, rough shunting, wrong marshalling, etc.

(i) ज्वलनशील माल
Inflammable goods

(ii) विस्फोटक और खतरनाक माल
Explosives and dangerous goods

(घ) आकस्मिक, उदाहरण के लिए फिटिंग की उठाईगीरी के कारण तारों का संपर्क में आ जाना, जैसे प्वाइंटों का अधिक गर्म हो जाना, आदि

(d) Accidental e.g. wire contacts due to pilferage of fittings, over-heating of points etc.

(ङ) इंजन से चिनगारियां

(e) Sparks from engines

(च) कारण निश्चित न होना

(f) Causes not determined

(छ) कारणों का निर्धारण न हो सकना

(g) Causes not finalised

(ज) जोड़ (क से छ)

(h) Total (a to g)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.05 प्रति दस लाख गाड़ी किलोमीटर के हिसाब से गाड़ियों में आग लगने की घटनाओं की संख्या Number of fires in trains per million train kilometres:																						
(i) यात्री गाड़ियां* Passenger trains*																						
(ii) बिजली की गाड़ियां** E. M. U. **																						
(iii) अन्य गाड़ियां *** Other trains ***																						
(iv) सभी गाड़ियां All trains																						
3.06 प्रति दस लाख ले जाये गये यात्रियों@ के हिसाब से गाड़ियों में आग लग जाने के कारण मृतक/घायल यात्रियों की संख्या Number of passengers killed/injured due to fires in trains per million passengers carried @																						
4. समपारों पर हुई रेल गाड़ी की दुर्घटनाएं इसमें समपारों पर हुई वे सभी दुर्घटनायें जिनमें गाड़ियां सड़क यातायात वाहनों से टकराई हों और/या सड़क यातायात के वाहन गाड़ियों से टकराये हों सम्मिलित करनी हैं, समपारों पर हुई वे दुर्घटनायें जिनमें गाड़ियां सम्मिलित न हों तालिका 3 की मद 11 के अन्तर्गत गिनी जायेंगी । Accidents involving trains at level crossings. (To include all trains running into road traffic and/or road traffic running into trains at level crossings. Accidents at level crossings not involving trains will be accounted for under item 11 of Table 3).																						
4.01 सवारी गाड़ियां : Passenger trains :																						
(अ) समपार जहां फाटक वाला हो : (A) Manned level crossings:																						
(क) रेल कर्मचारियों की गलती— (a) Failure of railway staff–																						
(i) गाड़ी कर्मी-दल Train crew																						

(ii) फाटक वाला
Gateman
(iii) अन्य कर्मचारी
Other staff

(ख) सड़क उपयोगकर्ताओं की गलती
(b) Failure of road users
(ग) जोड़
(c) Total

(ब) समपार जहां फाटक वाला न हो :
(B) Unmanned level crossings:

(क) रेल कर्मचारियों की गलती
(a) Failure of railway staff

(ख) सड़क उपयोगकर्ताओं की गलती
(b) Failure of road users

(ग) जोड़
(c) Total
(स) जोड़ (4.01)
(C) Total (4.01)

4.02 अन्य गाड़ियां :
Other trains:

(अ) समपार जहां फाटक वाला हो :
(A) Manned level crossings:

(क) रेल कर्मचारियों की गलती—
(a) Failure of railway staff—
(i) गाड़ी कर्मी-दल
Train crew

*मद 3.01 (ज) ÷ विभागीय गाड़ियों को छोड़ कर सभी सवारी और मिली-जुली गाड़ियों से सम्बन्धित सभी कर्षणों के संचयी गाड़ी किलोमीटर, जिसमें रेल कार शामिल हैं।
*Item 3.01 (h) ÷ Cumulative train kilometres of all tractions relating to all passenger and mixed trains including rail cars, but excluding departmental.
**मद 3.02 (च) ÷ संचयी बिजली गाड़ियां (जैसे कि गाड़ियां चल रही हैं) के गाड़ी किलोमीटर।
**Item 3.02 (f) ÷ Cumulative EMU (as the trains are run) train kilometres.
***मद 3.03 (ज) ÷ मद (i) और (ii) में सम्मिलित गाड़ी किलोमीटरों को छोड़कर सभी कर्षणों के समस्त गाड़ी किलोमीटर।
***Item 3.03 (h) ÷ All train kilometres of all tractions, other than those included for items (i) and (ii).
@ ढोये गये यात्रियों से आशय, प्रत्येक आमाप अथवा समस्त प्रणाली पर, जैसा भी संदर्भ हो, ढोये गए यात्रियों की संख्या से है।
@ Passengers carried refer to the number carried on each gauge or the system as a whole, as the case may be.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(ii) फाटक वाला Gatemen																						
(iii) अन्य कर्मचारी Other staff																						
(ख) सड़क उपयोगकर्ताओं की गलती (b) Failure of road users																						
(ग) जोड़ (c) Total																						
(ब) समपार जहां फाटक वाला न हो : (B) Unmanned level crossings :																						
(क) रेल कर्मचारियों की गलती (a) Failure of railway staff																						
(ख) सड़क उपयोगकर्ताओं की गलती (b) Failure of road users																						
(ग) जोड़ (c) Total																						
(स) जोड़ (4.02) (C) Total (4.02)																						
4.03 समपारों पर हुई दुर्घटनाओं की कुल संख्या (4.01+4.02) Total No. of accidents at level crossings (4.01+4.02)																						
4.04 प्रति दस लाख गाड़ी किलोमीटर के हिसाब से समपारों पर हुई गाड़ी की दुर्घटनाओं की संख्या : Number of accidents at level crossings per million train kilometres :																						
(i) सवारी गाड़ियां ** Passenger trains **																						
(ii) अन्य गाड़ियां *** Other trains ***																						
(iii) सभी गाड़ियां All trains																						
4.05 प्रति दस लाख की दर से ले जाये गये यात्रियों @ के हिसाब से समपारों पर हुई दुर्घटनाओं के कारण मृत/चायल यात्रियों की संख्या Number of passengers killed/injured due to accidents at level crossings per million passengers carried. @																						

5. गाड़ियों की कुल दुर्घटनाएं (मद 1 से 4)
Total train accidents (Items 1 to 4)

5.01 संख्या
Number

5.02 प्रति दस लाख गाड़ी किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या (यात्री गाड़ियों और अन्य गाड़ियों के लिये अलग-अलग गाड़ी किलोमीटर हजारों में बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन या समस्त प्रणाली (जैसे भी हो) कोष्ठों में दिखाए जायें)
Number of train accidents per million train kilometres (Train kilometres for the BG/MG/NG or the system as a whole (as the case may be) indicated in thousands in brackets separately of passengers and others) :

(i) सवारी गाड़ियां ††
Passenger trains††

(ii) अन्य गाड़ियां†††
Other trains †††

(iii) जोड़
Total

5.03 प्रति दस लाख के हिसाब से ले जाये गये यात्रियों@के हिसाब से गाड़ी दुर्घटनाओं में मृत/घायल यात्रियों की संख्या
(ले जाये गए कुल यात्रियों की संख्या कोष्ठक में दिखायें)
Number of passengers killed/injured in train accidents per million passengers carried @
(Total No. of passengers carried to be shown in brackets)

**मद 4.01 स ÷ विभागीय गाड़ियों को छोड़कर सभी सवारी और मिश्रित गाड़ियों से सम्बन्धित सभी कर्षणों के संचयी गाड़ी किलोमीटर जिनमें ई० एम० यू० (जैसी कि गाड़ियां चल रही हैं) और रेल कारों के किलोमीटर सम्मिलित हैं।

**Item 4.01 C÷ cumulative train kms. of all tractions relating to all passenger and mixed trains including E. M. U. (as the trains are run) and rail-cars but excluding departmental trains.

***मद 4.02 स ÷ मद 4.04 (i) में सम्मिलित गाड़ी कि० मी० को छोड़कर समस्त कर्षणों की सभी गाड़ियों के संचयी किलोमीटर।

***Item 4.02 C ÷ cumulative of all train kms. of all tractions other than those included for item 4.04 (i).

@ढोये गये यात्रियों से आशय, प्रत्येक आमान अथवा समस्त प्रणाली पर जैसा भी संदर्भ हो, ढोये गए यात्रियों की संख्या से है।

@ Passengers carried refer to the number carried on each gauge or the system as a whole, as the case may be.

††मदें 1.01 से 1.03+2.01अ+2.01ब+3.01+3.02+4.01 स÷विभागीय गाड़ियों को छोड़कर सभी सवारी और मिश्रित गाड़ियों से संबंधित सभी कर्षणों के संचयी गाड़ी किलोमीटर, जिनमें ई० एम० यू० (जैसी कि गाड़ियां चल रही हैं) और रेल कारों के किलोमीटर सम्मिलित हैं।

††Items 1.01 to 1.03+2.01A+2.01B+3.01+3.02+4.01C÷cumulative train kms. of all tractions relating to all passenger and mixed trains including E.M.U. (as the trains are run) and rail-cars but excluding departmental trains.

†††मदें 1.04+1.05+2.02अ+2.02ब+3.03+4.02स÷मद 5.02(i) के लिए सम्मिलित की गाड़ी किलोमीटरों छोड़कर समस्त कर्षणों सभी गाड़ियों के संचयी गाड़ी किलोमीटर।

†††Items 1.04+1.05+2.02A+2.02B+3.03+4.02C÷cumulative of all train kms. of all tractions other than those included for item 5.02 (i)

रेलवे
Railway

दुर्घटनाओं का विवरण
STATEMENT OF ACCIDENTS

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन
B. G./M. G./N. G.

तालिका 2—.....को समाप्त अवधि/वर्ष के दौरान रेल उपस्करों की खराबी के कारण हुई दुर्घटनाओं और उनमें हताहतों की संख्या, क्षति की लागत आदि
TABLE 2—Number of Accidents due to failure of Railway equipment, Casualties, Cost of damage, etc., during the period/year ending.....

सम्पूर्ण प्रणाली (सभी आमान)
Whole system (all gauges)

विभिन्न कारणों के अनुसार दुर्घटनाओं की श्रेणी Class of accidents under various causes	संख्या Number			यात्रियों की संख्या No. of passengers			रेल कर्मचारियों की संख्या No. of Rly. servants			अन्य Others			हताहतों की कुल संख्या Total all classes			क्षति की अनुमानित लागत Approximate cost of damage to		सेवी सचार व्यवस्था में कुल कितने घंटे अवधान रहा Total number of hours during which through communication remained interrupted.				
	भारतीय रेल अधिनियम 1890 (1890 का 9) की धारा 83 के अंतर्गत स्थानीय सरकार को सूचित की गई दुर्घटनाएं Accidents reported to Local Govt. under Sec. 83 of the I. R. A. 1890 (9 of 1890).	रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की गई दुर्घटनाएं Accidents enquired into by Commissioner of Railway Safety.	जोड़ (अन्य दुर्घटनाओं को मिलाकर) Total (including other accidents).	मृत Killed	घायल Injured: गंभीर Serious	घायल Injured: मामूली Minor	घायल Injured: जोड़ Total	मृत Killed	घायल Injured: गंभीर Serious	घायल Injured: मामूली Minor	घायल Injured: जोड़ Total	मृत Killed	घायल Injured: गंभीर Serious	घायल Injured: मामूली Minor	घायल Injured: जोड़ Total	मृत Killed	घायल Injured: गंभीर Serious	घायल Injured: मामूली Minor	घायल Injured: जोड़ Total	चल स्टाक और इंजन की रु० Rolling Stock and Engines Rs.	रेलपथ की रु० Track Rs.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. चल स्टाक की खराबी— Rolling stock failures—																						
1.01 यांत्रिक विभाग के दोषपूर्ण अभिकल्प, सामग्री या कारीगरी के कारण भाप इंजनों में खराबी— Failures of steam engines due to faulty design, material or workmanship in the mechanical department—																						
(क) बायलर और ट्यूब [जबकि इंजन गाड़ी चलान के लिए लग चुका हो तो उस समय हुई वे सभी खराबियां शामिल करनी हैं जिसमें सम्पत्ति को 2000/- रुपये से अधिक की गम्भीर क्षति हुई हो,																						

किसी की मृत्यु हो गई हो अथवा कोई घायल हो गया हो, अन्यथा नहीं। पानी की कमी या अत्यधिक गर्मी के कारण फायर बार के गलने और राखदान में गिरने की वजह से इंजन में जो खराबियां आयगी उन्हें इस शीर्षक में शामिल नहीं किया जायेगा बल्कि उन्हें मद 1.02 (ख) (ii) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जायेगा]:

(a) Boilers and tubes [To include all failures when the engine is working a train or when there is serious damage done to property, i.e., in excess of Rs. 2,000/-, loss of life or injury; not otherwise. Failure of engines due to want of water or to fire-bars melting and dropping in the ash-pan owing to excessive heat are not to be included under this head but shall be classified under item 1.02 (b) (ii)]:

(i) समय पर न पहुंचना (जैसे गाड़ियां ले जाने के लिए लगे हुए इंजनों का खराब हो जाना जिस के कारण गाड़ियों के पहुंचने में एक घन्टा या उससे अधिक का विलम्ब हो। यार्डों में केवल शंटिंग के दौरान हुई खराबी को शामिल नहीं किया जाता है)
Time failures (i.e., failures of engines on trains when the delay to trains is one hour or over. Failures when merely shunting in yards are not to be included).

(ii) अन्य खराबियां
Other failures.

(ख) मशीन, स्प्रिंग आदि :
(b) Machinery, springs etc. :

(i) समय पर न पहुंचना (जैसे गाड़ियां ले जाने के लिए लगे हुए इंजनों का खराब होना जिसके कारण गाड़ियों के पहुंचने में एक घन्टा या इससे अधिक विलम्ब हो। यार्डों में केवल शंटिंग के दौरान हुई खराबी को शामिल नहीं किया जाता है)
Time failures (i.e., failures of engines on trains when the delay to trains is one hour or over. Failures when merely shunting in yards are not to be included).

(ii) अन्य खराबियां
Other failures

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.02 रनिंग कर्मचारियों के गलत ढंग से चलाने के कारण भाप इंजनों में खराबी–Failures of steam engines due to operation arising from the working of running staff—																						
(क) बायलर और ट्यूब (जब इंजन गाड़ी चलाने के लिए लग चुका हो या गाड़ी पर लगने के लिए जा रहा हो तो उस समय हुई वे सभी खराबियां शामिल करनी हैं जिसमें सम्पत्ति को 2000/- रु० से अधिक की गम्भीर क्षति हुई हो, किसी की मृत्यु हो गई हो अथवा कोई घायल हो गया हो अन्यथा नहीं) :																						
(a) Boilers and tubes (to include all failures when the engine is working a train or proceeding to work a train or when there is serious damage done to property, i. e., in excess of Rs. 2,000/-, loss of life or injury; not othewise):																						
(i) समय पर न पहुंचना (जैसे गाड़ियां ले जाने के लिए लगे हुये इंजनों का खराब हो जाना जिस के कारण गाड़ियों के पहुंचने में एक घन्टा या इससे अधिक विलम्ब हो। यार्ड में केवल शंटिंग करते समय हुई खराबियों को शामिल नहीं किया जाना है) Time failures (i.e. failures of engines on trains when the delay to trains is one hour or over. Failures when merely shunting in yards are not to be included).																						
(ii) अन्य खराबियां । Other failures																						
(ख) अन्य कारण (जब इंजन गाड़ी चलाने के लिए लग चुका हो या गाड़ी पर लगने के लिए जा रहा हो तो उस समय हुई वे सभी खराबियां शामिल करनी हैं जिनके कारण गाड़ियों को पहुंचने में एक घण्टा या इससे अधिक का विलम्ब हो)																						
(b) Other causes (to include all failures of engines on trains or when proceeding to work a train when the delay to trains is one hour or over.)																						
(i) समय पर न पहुंचना (जब इंजन गाड़ी चलाने के लिए लग चुका हो तो उस समय हुई वे खराबियां शामिल करनी है जिनके कारण गाड़ियों के पहुंचने में एक घन्टा या इससे अधिक विलम्ब हो। केवल यार्ड में शंटिंग करते समय हुई खराबियों को शामिल नहीं किया जाना है) Time failures (i.e. failures of engines on trains when the delay is one hour or over. Failures when merely shunting in yards are not to be																						

(ii) अन्य खराबियां (पानी की कमी के कारण अथवा अत्यधिक गर्मी की वजह से अग्नि छड़ों के पिघलने और राखदान में गिरने के कारण इंजन में हुई खराबियों को इनमें शामिल किया जायेगा, सिवाय उन मामलों के जिनमें क्षति 500 रु० से कम की हुई हो)

Other failures (including the cases of engine failures due to want of water, or fire bars melting and dropping in the ash-pan owing to excessive heat except those where damage done amounts to less than Rs. 500/-.)

1.03 यांत्रिक विभाग के दोषपूर्ण अभिकल्प, सामग्री या कारीगरी के कारण बिजली और डीजल इंजनों का खराब होना :—

Failure of electric and diesel locos due to faulty design, material or workmanship in the mechanical department:—

क—समय परक खराबियां (जब इंजन गाड़ी चलाने के लिए लग चुका हो या गाड़ी पर लगने के लिए जा रहा हो तो उससमय हुई वे सभी खराबियां शामिल करनी हैं जिनके कारण गाड़ियों को पहुंचने में 30 मिनट या उससे अधिक विलम्ब हुआ हो) :

A—Time failures (to include all failures of engines on trains or when proceeding to work a train when the delay to train is 30 minutes or more) :

(क) डीजल इंजन:

(a) Diesel locomotives :

(i) दोषपूर्ण अभिकल्प

(ii) Faulty design.
खराब सामग्री

(iii) Faulty material
गलत कारीगरी
Bad workmanship

(iv) अन्य
Others

(v) जोड़
Total.

(ख) बिजली के इंजन

(b) Electric locomotives

(i) दोषपूर्ण अभिकल्प
Faulty design

(ii) खराब सामग्री
Faulty material

विवरण 18–तालिका 2–(जारी)
St 18–Table 2–(Contd.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(iii) गलत कारीगरी Bad workmanship																						
(iv) अन्य Others																						
(v) जोड़ Total.																						
ख–अन्य खराबियां : B–Other failures :																						
(क) डीजल इंजन (a) Diesel locomotives																						
(ख) बिजली के इंजन (b) Electric locomotives																						
1.04 रनिंग कर्मचारियों के गलत ढंग से चलाने के कारण बिजली और डीजल इंजनों में खराबी : Failure of electric and diesel locos due to operation arising from the working of running staff:																						
क–समय परक खराबियां (जब इंजन गाड़ी चलाने के लिए लग चुका हो या गाड़ी पर लगने के लिए जा रहा हो तो उस समय हुई वे सभी खराबियां शामिल हैं जिनके कारण गाड़ियों के पहुंचने में 30 मिनट या इससे अधिक विलम्ब हुआ हो) : A–Time failures (to include all failures of engines on trains or when proceeding to work a train when the delay to train is 30 minutes or more) :																						
(क) डीजल इंजन (a) Diesel locomotives																						
(ख) बिजली के इंजन (b) Electric locomotives																						
ख–अन्य खराबियां : B–Other failures:																						
(क) डीजल इंजन (a) Diesel locomotives																						
(ख) बिजली के इंजन (b) Electric locomotives																						
1.05 इंजनों में आग लगने के कारण खराबी : Failures due to fires in locomotives:																						
(क) डीजल (a) Diesel																						
(ख) बिजली (b) Electric																						

1.06 इंजनों की कुल खराबियां:
Total engine failures:
(क) भाप (1.01+1.02)
(a) Steam (1.01+1.02)
(ख) डीजल [1.03 क और ख का (क)+1.04 क और ख का (क) +1.05 का (क)]
(b) Diesel (a) of 1.03 A and B +(a) of 1.04A and B +(a) of 1.05]
(ग) बिजली [1.03 क और ख का (ख)+1.04 क और ख का (ख) +1.05 का (ख)]
(c) Electric (b) of 1.03A and B+(b) of 1.04A and B +(b) of 1.05)
(घ) (क)+(ख)+(ग)
(d) (a)+(b)+(c)

2.01 टायरों की खराबी (तब ही सम्मिलित करनी है जब स्टाक चल रहो गाड़ियों में लगा हो या खराबी के फलस्वरूप सम्पत्ति को 2,000/-रुपये से अधिक की गंभीर क्षति हुई हो या कोई व्यक्ति मर गया हो अथवा घायल हो गया हो):
Failures of tyres (To be included only when the rolling stock is attached to running trains or the failure results in serious damage to property, i.e., in excess of Rs. 2,000, loss of life or injury to persons):
(क) भाप
(a) Steam
(ख) डीजल
(b) Diesel
(ग) बिजली
(c) Electric

2.02 पहियों की खराबी(केवल तब ही सम्मिलित करनी है जब चल स्टाक चल रही गाड़ियों में लगा हो, या खराबी के कारण सम्पत्ति को 2,000/- रुपये से अधिक की गंभीर क्षति हुई हो या कोई व्यक्ति मर गया हो अथवा घायल हो गया हो:
Failures of wheels (To be included only when the rolling stock is attached to running trains or the failure results in serious damage to property, i.e., in excess of Rs. 2,000, loss of life or injury to persons):
(क) भाप
(a) Steam
(ख) डीजल
(b) Diesel
(ग) बिजली
(c) Electric

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.03 धुरों की खराबी (केवल तब ही सम्मिलित करनी है जब चल स्टाक चलती हुई गाड़ियों के साथ लगा हुआ हो या खराबी के कारण सम्पत्ति को 2,000/- रुपये से अधिक की गंभीर क्षति हुई हो या कोई व्यक्ति मर गया हो अथवा घायल हो गया हो । बियरिंग के गर्म हो जाने के परिणामस्वरूप चलती हुई गाड़ियों से चल स्टाक के अलग किए जाने के मामले को तब तक शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि धुरे में खराबी न हो): Failures of axles (To be included only when the rolling stock is attached to running trains or the failure results in serious damage to property, i.e., in excess of Rs. 2,000/-, loss of life or injury to persons. Cases of hot bearings resulting in detachment of rolling stock from running trains are not to be included unless failure of the axle takes place): (क) भाप (a) Steam (ख) डीजल (b) Diesel (ग) बिजली (c) Electric																						
2.04 ब्रेक उपकरणों की खराबी (केवल तब ही सम्मिलित किया जाना है जब चल स्टाक चल रही गाड़ियों में लगा हो या खराबी के फलस्वरूप संपत्ति को2,000 रु० से अधिक की गंभीर क्षति हुई हो या कोई व्यक्ति मर गया हो अथवा घायल हो): Failures of brake apparatus (To be included only when the rolling stock is attached to running trains or the failure results in serious damage to property, i.e., in excess of Rs. 2,000, loss of life or injury to persons): (क) भाप (a) Steam (ख) डीजल (b) Diesel (ग) बिजली (c) Electric																						
2.05 कप्लिंग और ड्राफ्ट गियरों की खराबी (केवल तब ही सम्मिलित करनी है जब चल स्टाक चल रही गाड़ियों के साथ लगा हो या खराबी के कारण सम्पत्ति को 2,000/- रुपये से अधिक की गंभीर क्षति हो; या कोई व्यक्ति मर गया हो अथवा घायल हो गया हो): Failures of couplings and draft gear (To be included only when the rolling stock is attached to running trains or																						

the failure results in serious damage to property, i.e., in excess of Rs. 2,000, loss of life or injury to persons):

(i) सवारी और मिश्रित गाड़ियां—
Passenger and mixed trains—

(क) भाप
(a) Steam
(ख) डीजल
(b) Diesel
(ग) बिजली
(c) Electric

(ii) अन्य गाड़ियां—
Other trains—

(क) भाप
(a) Steam
(ख) डीजल
(b) Diesel
(ग) बिजली
(c) Electric

2.06 अन्य चल स्टाक की खराबी (इसमें चल स्टाक की खराबी के वे सभी मामले सम्मिलित करने हैं जो कि उक्त उप-मद 1.01 से 1.05 और 2.01 से 2.05 के अन्तर्गत नहीं आते किन्तु उस प्रकार के मामले जिनका उल्लेख उन मदों की तल टिप्पणी में किया गया है को भी सम्मिलित नहीं किया जाना है। बियरिंग के गर्म हो जाने के परिणामस्वरूप चलती हुई गाड़ियों से चल स्टाक के अलग किये जाने वाले मामलों को शामिल नहीं करना है):
Other rolling stock failures (To include all failures of rolling stock which are not covered by sub-items 1.01 to 1.05 and 2.01 to 2.05 above but those of the nature referred to in foot-notes under those items are not to be included. Cases of hot bearing resulting in detachment of rolling stock from running trains, are not to be included):

(क) भाप
(a) Steam
(ख) डीजल
(b) Diesel
(ग) बिजली
(c) Electric

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3. चल स्टाक की कुल खराबियां : Rolling stock failures : जोड़ [मद 1.06 (घ) और 2.01 से 2.06] Total [Item 1.06 (d) and 2.01 to 2.06] : (क) भाप (a) Steam (ख) डीजल (b) Diesel (ग) बिजली (c) Electric जोड़ Total																						
4. इंजन किलोमीटर प्रति इंजन खराबी (इस मद के आंकड़े निकालने के लिए, कर्षण-वार इंजन किलोमीटर को 1.06 में दिखाई गई अलग-अलग कर्षण की इंजन किलोमीटर खराबियो की संख्या से विभाजित किया जायेगा) : (बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन या समस्त प्रणाली (जैसा भी संदर्भ हो) के कर्षणवार इंजन किलोमीटर हजारों में कोष्ठकों में दिखाया जाना है)। Engine kilometres per engine failure (for deriving the figures of this item, traction-wise engine kilometres shall be divided by the number of engine failures of respective traction shown against item 1.06): (Tractionwise engine kilometres on BG/MG/NG or the system as a whole, as the case may be, in thousands be shown in brackets) (क) भाप (a) Steam (ख) डीजल (b) Diesel (ग) बिजली (c) Electric जोड़ Total																						
5. असांख्यकीय विफलतायें : Non-statistical failures : (क) भाप (a) Steam (ख) डीजल (b) Diesel (ग) बिज ली (c) Electric जोड़ Total,																						

6. रेलपथ खराबियां (इसमें सभी खराबियां शामिल की जायेंगी, सिवाय उनके कि जो रनिंग लाइनों के यार्डों में न होकर अन्य यार्डों में हुई हों) —
Permanent way failures (To include all cases except failures occurring in yards other than those on running lines) —

6.01 रनिंग लाइनों पर रेलपथ का टेढ़ा-मेढ़ा होना
Buckling of track on running lines

6.02 रनिंग लाइनों पर आमान का फैलाव
Spread of gauge on running lines

6.03 रनिंग लाइनों पर रेल-पथ का धंसना
Sinkage of track on running lines

6.04 टूटी हुई पटरियां (इसमें वह टूट-फूट शामिल नहीं की जायेगी जिसका पता सामान्य अनुरक्षण के दौरान रेलपथ कर्मचारियों को चला हो)।
Broken rails (to exclude running fractures detected by permanent way staff during normal maintenance).

6.05 सुरंगों, पुलों, उतारों, पुलियों आदि की खराबियां
Failures of tunnels, bridges, viaducts, culverts, etc.

6.06 रेलपथ के भागों पर बाढ़ का पानी आना (यदि क्षति 500/- रुपये से कम की है और सवारी गाड़ी और मिश्रित गाड़ियों के यातायात में 3 घन्टे से कम का अवरोध और माल गाड़ियों के मामले में 6 घंटे से कम का अवरोध हो तो शामिल नहीं करना है। एक ही दिन में एक ही कारण से उसी ब्लाक खंड में बाढ़ के कारण हुई विभिन्न दरारों के फलस्वरूप यातायात में हुई बाधाओं को एक ही खराबी गिना जाना है)
Flooding of portions of permanent way (To be excluded if damage done amounts to less than Rs. 500/- and if interruption to traffic is less than 3 hours in case of passenger and mixed trains and six hours in case of goods trains. Interruption to traffic owing to several breaches on the same block section caused by floods occurring on the same day and from same cause, shall be treated as one failure).

6.07 तटों या कटावों की फिसलन (यदि क्षति की राशि 500/- रुपये से कम हो और सवारी गाड़ी और मिश्रित गाड़ियों के यातायात में 3 घंटे से कम का विलम्ब और माल गाड़ियों के मामले में 6 घंटे से कम का विलम्ब हो तो वह शामिल नहीं किया जाना है)।
Slips in cuttings or embankments (To be excluded if damage done amounts t o less than Rs. 500/- and if the interruption to traffic is less than three hours in cases of passenger and mixed trains and six hours in case of goods trains).

6.08 रेलपथ की कुल खराबियां—(मद 6.01 से 6.07)
Permanent way failures—Total (items 6.01 to 6.07).

विवरण 18–तालिका 2–(समाप्त)
St. 18–Table 2–(Concld.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7. ऊपरी तारों की खराबी (इसमें ऊपरी उपस्कर की खराबी के कारण तारों का अलग हो जाना शामिल करना है। जिन मामलों में ऊपरी संरचना, आदि के कारण तारें नीचे आ गई हों तथा पटरी से उतरे हुए वाहनों से लिपट कर खिंच गई हों तो उन्हें तारों के अलग होने वाली श्रेणी में नहीं रखा जायेगा क्योंकि वे अन्य दुर्घटनाओं के फलस्वरूप है) Failures of overhead wires (To include dewirements from failures of overhead equipment. Incidence in which the wire is brought down as a result of overhead structure, etc., being carried away by derailed vehicles, are not to be regarded as dewirements, since they are incidental to other accidents).																						
8. सिगनल उपस्कर की खराबियां—(यदि किसी अन्य शीर्षक में वर्गीकृत न किया गया हो) Failures of signalling apparatus—(if not classified in any other head)																						
8.01 मार्ग अन्तर्पाशन की खराबी जिसके कारण यातायात एक घंटे से अधिक रुका रहा हो Failure of route relay interlocking causing detention to traffic for more than one hour.																						
8.02 केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण की खराबी जिसके कारण यातायात एक घंटे से अधिक रुका रहा हो Failure of centralised traffic control causing detention to traffic for more than one hour																						
8.03 स्वचालित सिगनल व्यवस्था की खराबी जिसके कारण यातायात एक घंटे से अधिक रुका रहा हो Failure of automatic signalling causing detention to traffic for more than one hour.																						
8.04 संचार-व्यवस्था का पूर्ण अवरोध जिससे गाड़ियों के चालन पर दुष्प्रभाव पड़ा हो Total interruption of communication affecting running of trains.																						
8.05 सिगनल उपस्कर की कोई खराबी जिससे खतरा हो Any failure of signalling apparatus on the unsafe side.																						
8.06 जोड़ (मद 8.01 से 8.05 तक) Total (items 8.01 to 8.05)																						
9. रेल उपस्करों की कुल खराबियां—(मद 3+6.08+7+8.06). Total failures of railway equipment—(Items 3+6.08+7+8.06).																						

रेलवे

———————— Railway

दुर्घटनाओं का विवरण

STATEMENT OF ACCIDENTS

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन
B. G./M. G./N. G.

तालिका 3— को समाप्त अवधि/वर्ष के दौरान विविध दुर्घटनाओं और उनमें हताहतों की संख्या, क्षति की लागत आदि

TABLE 3– Number of Miscellaneous Accidents, Casualties, Cost of damage etc., during the period/year ending.....

सम्पूर्ण प्रणाली (सभी आमाप)
Whole system (all gauges)

विभिन्न कारणों के अनुसार दुर्घटनाओं की श्रेणी Class of accidents under various causes.	संख्या Number			यात्रियों की संख्या No. of passengers			रेल कर्मचारियों की संख्या No. of Rly. servants			अन्य Others			हताहतों की कुल संख्या Total all classes			क्षति की अनुमानित लागत Approximate cost of damage to		बाधित मंचार व्यवस्था में कुल कितने घंटे व्यवधान रहा Total number of hours during which through communication remained interrupted.				
	भारतीय रेल अधिनियम 1890 (1890 का 9) की धारा 83 के अन्तर्गत स्थानीय सरकार को सूचित की गई दुर्घटनाएं Accidents reported to Local Govt. under Sec. 83 of the I. R. A. 1890 (9 of 1890)	रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की गई दुर्घटनाएं Accidents enquired into by Commissioner of Railway Safety.	जोड़ (अन्य दुर्घटनाओं को मिलाकर) Total (including other accidents)	मृत Killed	घायल Injured		मृत Killed	घायल Injured		मृत Killed	घायल Injured		मृत Killed	घायल Injured		चल स्टाक और इंजन की रु० Rolling Stock and Engines Rs.	रेलपथ की रु० Track Rs.					
					गंभीर Serious	मामूली Minor		गंभीर Serious	मामूली Minor		गंभीर Serious	मामूली Minor		गंभीर Serious	मामूली Minor							
					जोड़ Total			जोड़ Total			जोड़ Total			जोड़ Total								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
विविध दुर्घटनायें— Miscellaneous Accidents —																						
1. लाइन पर पशुओं का गाड़ी से कट जाना किन्तु गाड़ी का पटरी से न उतरना (गाड़ी के पटरी से उतरने की दुर्घटना को तालिका 1 की मद 2 के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए)। Trains running over cattle on the line but not derailed. (in case of derailment, the accident should be accounted for under item 2 of Table 1).																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2. गाड़ियों में तोड़-फोड़ के लिए किया गया प्रयास: Attempted train wreckings : 2.01 गाड़ी के प्रभावित होने से पहले पता लग जाना और उपचार कर लिया जाना Detected and remedied before a train is affected. 2.02 गाड़ी के गुजर जाने के बाद पता लगना परन्तु वास्तव में किसी दुर्घटना का न होना (इसमें तभी सम्मिलित करना है जब कि रेलपथ के विरचन, संरचना अथवा उपस्कर को विकृत करने या जान बूझकर अवरोधन करने वाले मामलों का पता चला हो और यदि उनका उपचार न किये जाने के फलस्वरूप किसी गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना हो), किन्तु वास्तव में दुर्घटना न हुई हो। जहां जान बूझ-कर अवरोधन उत्पन्न करने के फलस्वरूप एक गाड़ी या गाड़ी का एक भाग पटरी से उतर गया हो तो, ऐसी दुर्घटना की गणना तालिका 1 की मद 1 या 2 के अन्तर्गत संबंधित शीर्षकों में करनी चाहिये Detected after a train has passed but no accident actually occures (When wilful obstruction or tampering with permanent way, formation, structure or equipment is detected, which if not remedied, is likely to have resulted in an accident to a train, but no accident has actually occurred. Where, however, a train or portion of a train is derailed or seriously damaged as a result of such wilful obstacle, the accident should be accounted for under the respective head under items 1 or 2 of Table 1). 3. गाड़ियों का अवरोधनों पर से गुजर जाना परन्तु पटरी से न उतरना अर्थात ऐसे मामले जो कि तालिका 1 की मद 4 और उपरोक्त मद 1 और 2 में उल्लिखित स्थितियों के अन्तर्गत न आते हों (इसमें तभी सम्मिलित किया जाना है जब कि ऐसी बाधाएं जान-बूझ कर रेलपथ पर उपस्थित न की गई हों, उदाहरणार्थ गिरा हुआ पेड़ या तार का खम्भा। इसमें शरारत के कारण रेलपथ पर उपस्थित की गयी वे मामूली बाधाएं भी सम्मिलित करनी हैं जिनके फलस्वरूप न तो कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई हो और न होने की संभावना हो। सामान्य रूप से काम करते समय संयोगवश रेलवे के औजारों के गलत ढंग से रखे जाने के अतिरिक्त स्लीपर, पटरी, पत्थर आदि के लाइन पर रखे जाने से उपस्थित बाधाओं पर से गुजरने से होने वाली दुर्घटना ही इसके अंतर्गत लेनी हैं। स्काच ब्लाक पर गाड़ी जाने या रेलवे के औजारों के गलत ढंग से रखे जाने या खण्डित या अलग हुए प्वाइन्ट पर जाने वाली दुर्घटनाओं के फलस्वरूप टक्करें या पटरी से उतरने के मामले तालिका 1 की मद 1 और 2 में सम्मिलित करने हैं) Trains running over obstructions but not derailed i.e., those not covered by circumstances mentioned in items 4 of Table 1 and 1 & 2 above (When such obstructions have not been wilfully placed on the track, e.g., fallen tree																							

or telegraph post. This includes also petty obstructions mischievously placed on the track which have not resulted or are not likely to have resulted, in an accident to a train. Such accidents shall be entered as are caused by trains running over obstructions (e.g., sleepers, rails or stonds etc., placed on the line) other than those caused by accidental misplacement of railway appliances in the ordinary course of working. Accidents due to trains mounting scotch blocks or other misplaced railway appliances, or travelling over split or trailing points, and resulting in derailments or collisions shall be shown under the respective heads of items 1 and 2 of Table 1).

4. यात्री गाड़ियों का कांटों पर से गलत दिशा में जाना परन्तु पटरी से न उतरना (इसमें सभी यात्री गाड़ियां शामिल होंगी)
Passenger trains travelling in the wrong direction through points but not derailed (To include all).

5. गाड़ियों में आग लगना (उन मामलों को छोड़कर जहां वाहन स्टेशन पर खड़े हैं) जबकि हुई क्षति की रकम 500/- रुपये से कम हो
Fires in trains (except cases where vehicles are standing at a station) when the amount of damage done is less than Rs. 500/-.

6. ठेला ट्रालियों और गाड़ियों के बीच टक्करें :
Collisions between trains and push trolleys:
(i) सवारी और मिश्रित गाड़ियां
Passenger and mixed trains
(ii) अन्य गाड़ियां
Other trai-

7. अकेले इंजनों या/और वाहनों या/और मालडिब्बों या/और ट्रालियों के बीच टक्करें (इसमें इंजन यार्डों में हुई गाड़ी रहित इंजनों की टक्करों जिनमें किसी की मृत्यु न हुई हो, कोई गंभीर रूप से घायल न हुआ हो या सम्पत्ति को 2000/- रुपये से अधिक की गंभीर क्षति न हुई हो, को छोड़ कर सभी को शामिल करना है):
Collisions between light engines or/and vehicles or/and wagons or/and trolleys (to include all except collisions occurring in locomotive yards, unconnected with trains in which there is no loss of life, serious injury or serious damage to property, that is to say, in excess of Rs. 2,000/-):
(i) खाली इंजन
Light engines
(ii) मोटर ट्रालियां
Motor trolleys

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(iii) लारियां Lorries																						
(iv) ट्रालियां Trolleys																						
(v) अन्य Others																						
(vi) जोड़ Total.																						
8. अन्य टक्करें तालिका 1 की मद सं० 1.01 से 1.05 तक और उक्त 6 और 7 मदों में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त तालिका 1 की मद 1.01 से 1.05 तक और उपयुक्त मदें 6 और 7 के अन्तर्गत टिप्पणी में संदर्भित विशिष्ट प्रकार के मामलों को भी शामिल नहीं किया जाना है Other collisions i.e., besides those specified in items 1.01 to 1.05 of Tables 1 and 6 and 7 above and also those of the nature referred to in notes under items 1.01 to 1.05 of Tables 1 and 6 and 7 above, are not to be included.																						
9. खाली इंजनों, ट्रालियों, वाहनों और मालडिब्बों का पटरी से उतरना (विन्यास यार्डों, शंटिंग यार्डों, इंजन यार्डों और साइडिंग आदि में पटरी से उतर जाने के उन सभी मामलों को शामिल करना है जिनमें 500/- रुपये से कम की हानि न हो, बशर्ते कि किसी गाड़ी या गाड़ी का कोई भाग शामिल न हो): Derailments of light engines, trolleys, vehicles and wagons (To include all derailments in marshalling yards, shunting yards, loco yards and sidings, etc., costing not less than Rs. 500/-; provided that no train or a part of a train is involved): (i) खाली इंजन Light engine (ii) ट्रालियां Trolleys (iii) वाहन Vehicles (iv) मालडिब्बे Wagons (v) जोड़ Total.																						
10. स्टेशनों पर आग लगना या ऐसे मामले जिनमें पुलों या उतारों को नुकसान पहुंचा हो (वे सभी मामले शामिल किये जाने हैं जहां क्षति की रकम 500/- रुपये से कम हो)																						

Fires at stations or those involving injury to bridges or viaducts (To include all except those where damage done amounts to less than Rs. 500/-.)

11. शंटिंग कार्य आदि के दौरान समपारों पर हुई दुर्घटनाय जिनमें गाड़ी की दुर्घटनायें शामिल नहीं है (जैसे समपारों पर खाली इंजनों, शंटिंग इंजनों या शेड को जा रहे इंजनों आदि का, अथवा वाहनों या मालडिब्बों का फाटक से टकरा जाना और/या सड़क यातायात से टकरा जाना या विलोमत):
Accidents at level crossings not involving trains (such as light engines, shunting engines or engines going to sheds etc., vehicles or wagons running into gates and/or road traffic or *vice-versa* at level crossing) during shunting operations etc.

क) चौकीदार वाले समपार :
(a) Manned level crossings :
(i) खाली इंजन
Light engines :
(ii) अन्य इंजन
Other engines :
(iii) वाहन
Vehicles :
(iv) मालडिब्बे
Wagons
(v) जोड़ [(i) से (iv)]
Total [(i) to (iv)]

(ख) बिना चौकीदार वाले समपार :
(b) Un-manned level crossings :
(i) खाली इंजन
Light engines
(ii) अन्य इंजन
Other engines
(iii) वाहन
Vehicles
(iv) मालडिब्बे
Wagons
(v) जोड़ [(i) से (iv)]
Total [(i) to (iv)]

12. अन्य विविध दुर्घटनायें
Other miscellaneous accidents
13. कुल विविध दुर्घटनायें (मद 1 से 12)
Total miscellaneous accidents (Items 1 to 12).

रेलवे
Railway

दुर्घटनाओं का विवरण
STATEMENT OF ACCIDENTS

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन
B. G./M. G./N. G.

.....को समाप्त अवधि/वर्ष के दौरान दुर्घटनाओं और हताहतों की कुल संख्या, क्षति की लागत आदि (तालिका 1, 2 और 3 का जोड़)
Total number of Accidents Casualties, Cost of damage etc. (total of Tables 1, 2 & 3) during the period/year ending.....

सम्पूर्ण प्रणाली (सभी सामान)
Whole system (all gauges)

विभिन्न कारणों के अनुसार दुर्घटनायों की श्रेणी Class of accidents under various causes.	संख्या Number			यात्रियों की संख्या No. of passengers				रेल कर्मचारियों की संख्या No. of Rly. servants				अन्य Others				हताहतों की कुल संख्या Total all classes				क्षति की अनुमानित लागत Approximate cost of damage to		सीधी संचार व्यवस्था में कुल कितने घंटे व्यवधान रहा Total number of hours during which through communication remained interrupted
	भारतीय रेल अधिनियम 1890 (1890 का 9) की धारा 83 के अन्तर्गत स्थानीय सरकार को सूचित की गई दुर्घटनायें Accidents reported to Local Govt. under Sec. 83 of the I. R. A. 1890 (9 of 1890)	रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की गई दुर्घटनायें Accidents enquired into by Commissioner of Railway Safety.	जोड़ (अन्य दुर्घटनाओं को मिलाकर) Total (including other accidents)	मृत Killed	घायल Injured: गंभीर Serious	घायल Injured: मामूली Minor	घायल Injured: जोड़ Total	मृत Killed	घायल Injured: गंभीर Serious	घायल Injured: मामूली Minor	घायल Injured: जोड़ Total	मृत Killed	घायल Injured: गंभीर Serious	घायल Injured: मामूली Minor	घायल Injured: जोड़ Total	मृत Killed	घायल Injured: गंभीर Serious	घायल Injured: मामूली Minor	घायल Injured: जोड़ Total	चल स्टाक और इंजन की रु० Rolling Stock and Engines Rs.	रेलपथ की रु० Track Rs.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
कुल जोड़—गाड़ी दुर्घटनायें, रेलवे उपस्कर की खराबियां और विविध दुर्घटनायें (तालिका 1 की मद संख्या 5.01, तालिका 2 की मद 9 तथा सारणी 3 की मद 13): Grand Total—Train accidents, failures of Railway equipment and miscellaneous accidents (Item 5.01 of Table 1+9 of Table 2+13 of Table 3):																						
(i) कुल संख्या Total number																						

(ii) प्रति दस लाख किलोमीटर के हिसाब स दुर्घटनाओं की संख्या
Number of accidents per million train kilometres

(क) सवारी गाड़ियां **
(a) Passenger trains **

(ख) अन्य गाड़ियां ***
(b) Other trains ***

(ग) जोड़
(c) Total.

(iii) ढोये गये प्रति दस लाख यात्रियों@ के हिसाब से मृत/जख्मी यात्रियों की संख्या
Number of passengers killed/injured per million passengers carried @.

**तालिका 1, 2 और 3 में दिखायी गयी यात्री गाड़ियों की सभी दुर्घटनायें÷सभी सवारी और मिश्रित गाड़ियों से संबंधित सभी कर्षणों के संचयी गाड़ी किलोमीटर जिनमें ई०एम०यू० (जैसी कि गाड़ियां चल रहीं हैं) तथा रेल कारों के कि० मी० सम्मिलित हैं परन्तु विभागीय गाड़ियों के किलोमीटर छोड़कर ।

**All accidents pertaining to passenger trains shown in Tables 1, 2 and 3÷cumulative train kilometres of all tractions relating to all passenger and mixed trains including E. M. U. (as the trains are run) and rail cars but excluding departmental train kilometres.

***तालिका 1, 2 और 3 में दिखायी गयी अन्य गाड़ियों से संबंधित सभी दुर्घटनायें÷मद (*i*) में सम्मिलित को छोड़कर सभी कर्षणो के समस्त गाड़ी किलोमीटर ।

***All accidents pertaining to passenger trains shown in Tables 1, 2 and 3÷cumulative train kilometres of all tractions other than those included for item (i).

@ढोये गये यात्रियों से आशय, प्रत्येक आमान अथवा समस्त प्रणाली पर जैसा भी संदर्भ में हो ढोये गये यात्रियों की संख्या से है ।

@Passengers carried refer to the number carried on each gauge or the system as a whole, as the case may be.

टिप्पणी.—प्रत्येक आमान और समस्त प्रणाली के अलग-अलग विवरण भेजने हैं ।

Note.—Separate statements for each gauge and whole system should be submitted.

रेलवे
Railway

तालिका 4—.....को समाप्त अवधि/वर्ष के दौरान गाड़ियों और रेलव वाहनों के संचलन से मृत और घायल व्यक्तियों की संख्या तालिका 1 से 3 में उल्लिखित दुर्घटनाओं को छोड़कर
TABLE 4—Number of persons killed and injured by the movement of trains and railway vehicles exclusive of accidents covered by Tables 1 to during the period/year ending.....

		कुल मृत Killed	घायल Injured		
			गम्भीर Serious	मामूली Minor	जोड़ Total
1		2	3	4	5
I. यात्री					
Passengers					
1. गाड़ियों और प्लेटफार्मों के बीच गिरने से					
From falling between trains and platforms.					
2. गाड़ियों में चढ़ते और उतरते समय प्लेटफार्मों, गिट्टी आदि पर गिरने स					
Falling on to platforms, ballast, etc., when getting into or out of trains.					
3. स्टेशनों पर लाइन पार करते समय					
While crossing the line at stations.					
4. सवारी गाड़ियों के दरवाजे खोलने या बन्द करने से					
By opening or closing of carriage doors.					
5. चलती गाड़ी में डिब्बे से गिरने या बाहर कूदने से					
Falling or jumping out of carriage during the travelling of trains.					
6. अन्य दुर्घटनायें					
Other accidents.	जोड़ Total				
II. कर्मचारी					
Servants.					
(क) वाहनों या इंजनों की शंटिंग के दौरान हुई रेल कर्मचारियों की दुर्घटनाएं (केवल शंटिंग से ही सम्बन्धित दुर्घटनाओं को मद 1–8 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। कपलिंग के टूटने और छिटक जाने के कारण हुई हताहतों की घटनाओं को संचलन दुर्घटनाओं के रूप में दर्ज किया जाता है भले ही उस समय वाहन खड़ा हो)					
(*a*) Accidents to railway servants which occurred during shunting of vehicles or engines (Only accidents peculiar to shunting are classified under Items1–8. Casualties during coupling, braking and spragging are recorded as movement accidents although vehicles may at the time be stationary).					

1. वाहन/इंजन जिस समय जोड़े या काटे जा रहे हों
Whilst coupling or uncoupling vehicles/engines.

2. शंटिंग के दौरान वाहनों पर बैठे होने पर साथ वाली लाइन पर खड़े वाहनों इंजनों से टकरा जाना
By coming in contact whilst riding on vehicles during shunting with other vehicles/engines etc., standing on adjacent lines.

3. शंटिंग के दौरान बफर पर खड़े हुये या बफर पर गुजरते समय
Whilst passing over or standing upon buffers during shunting.

4. शंटिंग के दौरान इंजनों, मालडिब्बों आदि पर चढ़ते या उतरते समय गिरने से.
When getting on or off or falling off engines, wagons, etc, during shunting.

5. पहियों को ब्रेक लगाते, काष्टरोधित या अवरोधित करते समय*
Whilst braking, spragging or chocking wheels*

6. ग्राउंड प्वांइट, विन्यास होती हुई गाड़ियों आदि पर काम करते समय
Whilst attending, to ground points, marshalling trains, etc.,

7. शंटिंगके दौरान के प्सटन्स, टर्न टेबुल प्राप्स आाद द्वारा वाहनों को घुमाते समय (इसमें हाथ से चलाये जाने वाले वाहन भी शामिल हैं)
Whilst moving vehicles by capstans, turn table props. etc., during shunting (includes vehicles being man-handled).

8. शंटिंग के दौरान हुई दूसरी दुर्घटनाओं से जो कि उक्त मदों में सम्मिलित न हो
By other accidents during shunting operations not included in the preceding.

9. जोड़
Total

*इसमें नियंत्रण करना तथा ब्रेक गिराना सम्मिलित है।
*Including controlling and pinning down.

1	2	3	4	5
(ख) अन्य दुर्घटनायें (b) *Other accidents*				
10. चलती हुई गाड़ियों में इंजनों आदि से गिरने से From falling off engines, etc., during the travelling of trains.				
11. चलती हुई गाड़ियों में लाइन के किनारे की संरचनाओं और ऊपरी-पुलों के सम्पर्क में आने से By coming in contact with over-bridges or erections on the sides of the line during the travelling of trains.				
12. चलती हुई गाड़ियों में इंजनों वाहनों आदि पर चढ़ते या उतरते समय When getting on or off engines, vans, etc., during the travelling of trains.				
13. कार्यरत इंजनों की मशीन आदि की खराबी से अथवा उनकी देख भाल करते समय Whilst attending to or by the failure of machinery etc., of engines in steam.				
14. रेलपथ, साईडिंगों आदि पर कार्य करते समय Whilst working on permanent-way, sidings etc.— (क) गाड़ी की ठोकर लग जाने से (a) Being struck by trains. (ख) अन्य कारणों से (b) Other causes.				
15. समपारों के फाटकों की देख भाल करते समय (इसमें केवल रेलपथ के अनुरक्षण के लिए काम पर तैनात सम्बन्धित कर्मचारी आते हैं और इसमें बत्तियों पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल नहीं हैं जिनका वर्गीकरण मद (16) के अन्तर्गत किया गया है। लाइन पर चल रहे गेंगर के मामले को कार्य-रत मामला माना जायेगा। गाड़ियों में रेलपथ ट्रालियां भी शामिल होनी चाहिये जिस समय वे लाइन पर चल रही हों) Whilst attending to gates at level crossings. (Only concerned staff engaged in maintenance of permanent-way and does not include staff on lamping duties which is classified under item (16). A ganger walking his length to be regarded as working case. Trains should include permanent way trolleys whilst being moved on rails).				
16. ड्यूटी के समय लाइन पर चलने, या खड़े होने या लाइन पार करने से (इसमें साइडिंग भी शामिल है जब तक कि व्यक्ति शंटिंग के काम पर तनात न हो) While walking, crossing or standing on the main line on duty (includes sidings unless man is engaged on shunting).				

17. वाहनों के बीच में कस जाने से (इसमें शंटिंग करने वाले कर्मचारी शामिल नहीं है)
From being caught between vehicles. (Does not include staff engaged on shunting).

18. गाड़ियों और प्लेटफार्मों की दीवारों आदि के बीच गिरने या फंसने के कारण (इसमें यात्री और माल स्टेशन शामिल है)।
From falling or being caught between train and platform walls etc. (Includes passenger and goods stations).

19. घर जाते समय या काम पर जाते समय लाइन पर चलने आदि के कारण
Whilst walking etc., on the line on the way home on to work.

20. विविध
Miscellaneous.

21. जोड़
Total.

कुल कर्मचारी
Total servants.

III. अन्य
Others

1. समपारों पर रेल लाइन पार करते समय
Whilst passing over the railway at level crossings.

2. अनधिकार प्रवेश करने वाले
Trespassers

3. आत्महत्या
Suicides

4. विविध
Miscellaneous
जोड
Total.

सभी श्रेणियों का जोड़
Total–All classes

रेलवे

Railway

तालिका 5—.....को समाप्त अवधि/वर्ष के दौरान दुर्घटनाओं में मृत या घायल व्यक्तियों की विवरणी जिसका वाहनों के संचलन से सम्बन्ध नहीं हो

TABLE 5—Return of persons killed or injured by accidents in which the movement of vehicles was not concerned, for the period/year ending.....

	यात्रियों की संख्या No. of passengers				रेल कर्मचारियों की संख्या No. of servants				अन्य Others				जोड़ Total-All classes			
		घायल Injured				घायल Injured				घायल Injured				घायल Injured		
	मृत Killed	गम्भीर Serious	मामूली Minor	जोड़ Total	मृत Killed	गम्भीर Serious	मामूली Minor	जोड़ Total	मृत Killed	गम्भीर Serious	मामूली Minor	जोड़ Total	मृत Killed	गम्भीर Serious	मामूली Minor	जोड़ Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. स्टेशनों पर सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय While ascending or descending steps at stations.																
2 प्लेटफार्मों पर ठेलों से टकरा कर, पैकेजों आदि पर गिर जाने से By being struck by barrows, by falling over packages, etc. on platforms.																
3. प्लेटफार्मों से गिर जाने पर From falling off platforms.																
4. मालडिब्बों पर सामान लादने, उतारने या उनको बन्द करते समय (माल के गिरने के कारण चोटें आना जब कि वह इस काम पर लगा हो, शामिल नहीं है (मद 7 देखें) लेकिन इस शीर्षक के अन्तर्गत कोयला आदि के लादने के समय लगी सभी चोटें शामिल हैं) Whilst loading, unloading or sheeting wagons—(Injuries due to falling of goods whilst engaged on this work are not included (See item 7). All injuries suffered whilst loading etc. of coal are included, however, under this heading).																
5. स्टेशनों आदि पर समान उठाते या ले जाते समय Whilst moving or carrying goods at stations, etc.																
6. केप्सटनों या क्रेनों पर काम करते समय (इसमें क्रेनों की मरम्मत करते समय घायल होने वाले कर्मचारी शामिल नहीं हैं) Whilst working at cranes or capstans. (Does not include staff injured whilst repairing cranes)																
7. मालडिब्बों के दरवाजे, बत्तियों, माल की गांठों आदि के गिरने से By the falling of wagon doors, lamps, bales of goods, etc.																

8. खड़े हुए इंजनों या वाहनों में चढ़ते या उतरते समय या उनसे गिर जाने से (इसमें दरवाजा खोलते या बन्द करते समय कर्मचारियों के साथ होने वाली दुर्घटनाएं शामिल नहीं हैं) (मद 12 देखें)

From falling off or when getting on or off stationary engines or vehicles. (Does not include accidents to staff opening or closing doors (see item 12).

9. प्लेटफार्मों, सीढ़ियों, पाड़ों आदि से गिरने से
From falling off platforms, ladders, scaffolds, etc.

10. प्लेटफार्मों या लाइन पर चलते समय लड़खड़ा जाने के कारण (इसमें साइडिंग की लाइनों और शेड की सड़कों पर चलते हुए इंजनों के आगे या घुमकर गड्ढे में गिर जाने से लगने वाली चोटें शामिल हैं
By stumbling whilst walking on the line or platforms. (includes lines in sidings and injuries caused by falling into engines or turntable pits whilst walking along shed roads).

11. शेडों में खड़े हुए इंजनों की देख–भाल करते हुए
Whilst attending to stationary engines in sheds.

12. रेल वाहनों के दरवाजे खोलने और बन्द करते समय इसमें यात्री और माल वाहन शामिल हैं)
Whilst opening and closing doors of railway vehicles (includes passenger and goods vehicles).

13. लाइन पर या साइडिंगों में काम करते समय
Whilst working on the line or in sidings.

14. स्टेशनों या साइडिंगों पर काम करते समय
On business at stations or sidings.

15. विविध
Miscellaneous

जोड़
Total

रेलवे
Railway

तालिका 6— ...को समाप्त अवधि/वर्ष के दौरान रेल कारखानों, लाइन/कार्य जिस पर निर्माण-कार्य हो रहा हो या जो जन यातायात के लिए खोला न गया हो, स्टीमर या फ्लैट्स आदि में हुई दुर्घटनाएं

TABLE 6—Accidents occuring in railway workshops, lines/works under construction or not opened for public traffic, steamers or flats etc. during the period/year ending

	दुर्घटनाओं की संख्या Number of accidents	कर्मचारी Servants				अन्य Others			
		मृत Killed	घायल Injured			मृत Killed	घायल Injured		
			गम्भीर Serious	मामूली Minor	जोड़ Total		गम्भीर Serious	मामूली Minor	जोड़ Total
1. रेल कर्मशालाओं में (मामूली चोटें या खरोचें) जो कि व्यक्ति को उसकी सामान्य ड्यूटी करते समय आ जाना स्वाभाविक है, दर्ज नहीं करनी है) In railway workshops (slight abrasions or bruises which are incidental to a man's ordinary duties need not be entered.)									
2. नये निर्माण कार्यों पर जिन्हें यातायात के लिए खोला नहीं गया On new works not opened for traffic.									
3. निर्माणाधीन लाइनों पर On lines under construction.									
4. उन लाइनों पर जिन्हें यात्रियों, जानवरों और माल की ढुलाई के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता On lines not used for the public carriage of passengers, animals and goods.									
5. वे स्टीमर या फ्लैट जो रेलों के लिए कार्य कर रहे हों The steamers or flats working in connection with the railway.									
जोड़ Total									

तालिका 7—..... को समाप्त अवधि/वर्ष के दौरान मे चालू लाइनों में रेल गाड़ियों और वाहनों के आवागमन के फलस्वरूप, प्रारम्भिक कारणों में वर्गीकृत रेल दुर्घटनाओं से भिन्न, दुर्घटनाओं में, रेल कर्मचारियों का दुर्घटनाग्रस्त होना

TABLE 7—Accidents to railway servants caused by movement of trains and railway vehicles exclusive of trains accidents classified under various causes on open line during the period/year ending

कारण Cause	संचालन के मामले Movement cases					
	मृत Killed		घायल Injured			
	संख्या Number	कुल का प्रतिशत Percentage of total	संख्या Number			कुल का प्रतिशत Percentage of total.
			गम्भीर Serious	मामूली Minor	जोड़ Total	
1. दुस्साहस अथवा संयोग Misadventure or accidental						
2. सावधान न रहना अथवा घायल व्यक्ति का कदाचार Want of caution or misconduct on the part of the injured person						
3. घायल व्यक्ति से भिन्न रेल कर्मचारियों का सावधान न रहना या उनके द्वारा नियमों का उलंघन आदि Want of caution or breach of rules, etc., on the part of servant other than the persons injured						
4. दोषपूर्ण कार्य प्रणाली, खतरनाक स्थल, काम की खतरनाक स्थितियां या कार्य प्रणाली अथवा कार्य सम्बन्धी नियमों का अभाव Defective systems of working, dangerous place, dangerous conditions or work or want of rules or systems of working						
5. दोषपूर्ण उपकरण, औजार आदि या पर्याप्त औजारों, सुरक्षा आदि का अभाव Defective apparatus, appliances, etc., or want of sufficient appliances, safe-guard, etc.						
जोड़ Total						

.....को समाप्त अवधि/वर्ष में हताहत हुए रेल कर्मचारियों का कर्मशालावार विवरण
Statement showing the workshop—wise details of the casualties to railway employees during the period/year ending.....

क्रम सं० Sl. No.	कर्मशाला का नाम Name of workshop	रेल कर्मचारियों की संख्या No. of railway employees			नवीनतम वित्त वर्ष के अन्तिम दिन विवरणियां भेजते समय तक के उपलब्ध आंकड़े संबंधित कर्मशाला की उपस्थिति पंजी में कर्मचारियों की कुल संख्या Total No. of employees on rolls in the concerned workshop as on the last day of the latest financial year for which data has become available till the time of submission of return.	उपस्थिति-पंजी में 1000 कर्मचारियों के हिसाब से हताहत रेल कर्मचारी Casulties to railway employees rated against per 1,000 employees on rolls		
		मृत Killed	घायल Injured			मृत Killed	घायल Injured	
			गम्भीर Serious	मामूली Minor			गम्भीर Serious	मामूली Minor

टिप्पणी–उपर्युक्त अनुबन्ध में कर्मशालावार बताये गये हताहतों की कुल संख्या तालिका 6 की मद 1 में दिखाये गये आंकड़ों से मेल खानी चाहिए।
Note–The total No. of casualties by workshops reported in the above annexure should tally with the figures of casualties shown against item 1 of Table No. 6.

विवरण 18

दुर्घटना सांख्यिकी

अनुदेश

1. रेलों द्वारा ये विवरणियां संलग्न फार्मों में तैयार की जानी चाहिए जिन पर क्रमशः तालिका 1 से 7 अंकित है। ये विवरणियां चाहे हस्तलिखित हों या मुद्रित हों, कागज के केवल एक ही ओर अंकित की जानी चाहिए।

2. जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च के अंत तक के संचयी आंकड़े प्रदर्शित करने वाली ये विवरणियां जिस अवधि से सम्बन्धित हों उसकी समाप्ति से 55 दिन के भीतर बोर्ड को पहुंच जानी चाहिए। यदि उस अवधि के दौरान कोई उल्लेखनीय दुर्घटना न हुई हो तो निर्धारित फार्मे में "कोई नहीं" विवरणियां पेश की जानी चाहिए।

3. सम्बन्धित विवरणियों में केवल उन्हीं दुर्घटनाओं को शामिल किया जायेगा जो विवरणियों से सम्बन्धित अवधि के दौरान घटित हुई हों। जिन दुर्घटनाओं का ब्यौरा किसी कारण से विवरणियां भेजने के समय उपलब्ध न हों उन्हें विवरण में इस स्पष्ट संकेत के साथ शामिल किया जाये कि और ब्यौरा बाद में भेजा जायेगा।

4. गाड़ियों में आग लगने की दुर्घटनाओं को छोड़कर, मामूली किस्म की दुर्घटनाओं, जैसे शंटिंग में छोटी-मोटी दुर्घटनाएं, स्प्रिंगों का फेल होना, गाड़ियों द्वारा कांटों का टूटना लेकिन उसके फलस्वरूप कोई और नुकसान न होना, भूस्खलन, जिस से यात्री गाड़ियों और मिश्रित गाड़ियों के सम्बन्ध में यातायात में 3 घंटे और माल गाड़ियों के सम्बन्ध में 6 घंटे से अधिक बाधा न पड़े या 500 रुपये से कम की हानि हो, को विवरणियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। गाड़ियों में आग लगने के जिन मामलों में हुई हानि की रकम 500 रुपये से कम हो, उन्हें तालिका 3 की मद 5 के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए।

5. इन आंकड़ों के प्रयोजन के लिए शामिल की जाने वाली दुर्घटनाएं इस प्रकार हैं :—

(*i*) रेलों के संचालन से सम्बन्धित कारणों के फलस्वरूप होने वाली मृत्यु या शरीर के अंग को पहुंचने वाली चोट के मामले।

(*ii*) रेलपथ, स्टाक या निर्माण-कार्यों को पहुंचने वाली क्षति चाहे उसमें मृत्यु हुई हो, या शरीर को चोट पहुंची हो, या नहीं, बशर्ते वह क्षति मद 4 में दी हुई आर्थिक सीमा के अन्तर्गत हो।

(*iii*) बिना अपवाद के वे सभी मामले जिनमें मवेशी लाइन से बाहर फेंक दिये गये हों या गाड़ी के नीचे आ गये हों, अर्थात् चलती गाड़ियों के साथ मवेशियों के सम्पर्क में आने के सभी मामले दुर्घटना विवरणियों में शामिल किये जायेंगे।

(*iv*) दुर्घटनाओं की रिपोर्ट देते समय, उनकी संख्या अवश्य दी जाये, भले ही उनमें से प्रत्येक घटना में हताहत होने वाले व्यक्तियों या मवेशियों की संख्या जिसे अलग से बताया जाये, कुछ भी हो। इसी प्रकार, टक्कर या पटरी से उतरने की घटनाओं की संख्या दी जाये, भले ही उनमें क्षतिग्रस्त होने वाले या पटरी से उतरने वाले वाहनों की संख्या कुछ भी हो। प्रत्येक दुर्घटना केवल एक बार दिखायी जानी चाहिए और यदि कोई दुर्घटना एक से अधिक कोटि की हो तो उसे दुर्घटना की जो सब से ऊंची कोटि हो उसी कोटि की समझी जानी चाहिए।

Statement 18

Accident Statistics

Instructions

1. The Returns are required to be prepared by the Railways in the forms marked Tables 1 to 7. Whether submitted in manuscript, or in print, these should be set-forth on one side of the paper only.

2. These returns should be submitted showing cumulative data to end of June, September, December and March and reach Board's office not later than 55 days after the close of the period to which they relate. 'Nil' returns in the prescribed forms should be submitted if no reportable accident occurred during the period covered.

3. Only those accidents which occurred during the period to which the returns relate, should be included in the relevant returns. In regard to accidents where details are not available at the time of forwarding the returns for any reason, such accidents are to be included in the statement with a clear indication that further details would follow.

4. Accidents which are of a trivial nature such as petty accidents in shunting, failure of springs, bursting open of points by trains resulting in no further damage or consequence, landslips not interrupting traffic for beyond 3 hours in the case of passenger and mixed trains and 6 hours in the case of goods trains or causing any damage less than Rs. 500, should not be included in the returns except in the case of 'fires in trains'. The cases of 'fires in trains' in which the amount of damage caused is less than Rs. 500, should be included under item 5 of Table 3.

5. Accidents to be included for the purpose of these statistics are :—

(*i*) Cases of loss of, or injury to, life or limb from causes connected with the working of railways.

(*ii*) All cases of damage to the permanent way, stock or works, whether attended or not by injury to life or limb subject to the monetary limit put under item 4.

(*iii*) All cases, without exception, of cattle being thrown off the line or run over, i. e., all cases of cattle coming in contact with running trains, shall be included in the accident returns.

(*iv*) While reporting the number of accidents, the figures should be given irrespective of the number of casualties of persons or cattle caused by each particular accident, which should be separately stated. Similarly, the number of collisions and derailments should be shown irrespective of the vehicles damaged or derailed by such collisions or derailments. Each accident must be shown only once and in the event of an accident falling in more than one category, it should be treated as an accident in the higher category.

(v) मार्शलिंग यार्डों, साइडिंगों आदि में होने वाले परिचालन, जो कि यहां परिभाषित गाड़ी-परिचालन से भिन्न है, के दौरान हुई टक्करों/पटरी से उतरने की दुर्घटनाओं को गाड़ी दुर्घटनाओं से अलग करके 'अन्य टक्करें/पटरी से उतरने की दुर्घटनाएं' शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज किया जाना चाहिए।

6. **गाड़ी दुर्घटनाओं की परिभाषा —**

(i) गाड़ी रेल इंजन द्वारा चालित खाली या लदे हुए वाहनों के सैट को, या किसी अन्य स्वचालित यूनिट को या रेल मोटर वाहनों को, या इकहरे रेल मोटर वाहन को, कहते हैं जो खाली या यात्री, पशुधन पार्सल या माल को लेकर, एक खास नम्बर और नाम के साथ, एक निश्चित प्रस्थान-स्थल से एक निश्चित गन्तव्य स्थल को जा रहा हो। इन आंकड़ों के प्रयोजन के लिए गाड़ी के भाग को भी गाड़ी समझा जायेगा। कोई खंडीय सवारी डिब्बा (डिब्बे) गाड़ी का अंग नहीं समझा जायेगा जब तक उसे गाड़ी में जोड़ न दिया जाय। गाड़ी इंजन या अन्य कोई वाहन एक बार गाड़ी में लगा देने के बाद तब तक गाड़ी का अंग बना रहेगा जब तक उस स्टेशन पर न पहुंच जाय जिसके बाद उसे उसी गाड़ी में लगाया जाना अपेक्षित न हो। ऐसे स्टेशनों पर इंजन या अन्य कोई वाहन गाड़ी से हटाये जाने के बाद उस गाड़ी का अंग नहीं रह जाते।

(ii) कांटे बदलते या शंटिंग आदि करते समय जब कोई आने-जाने वाली गाड़ी या अन्य गाड़ी जिसमें खंडीय सवारी डिब्बा आदि शामिल है, पटरी से उतर जाय तो 'गाड़ी का पटरी से उतरना' तभी समझा जायेगा जब गाड़ी इंजन या वाहन, जो उस समय भी गाड़ी का अंग हो, पटरी से उतर जाय; शंटिंग चाहे गाड़ी इंजन द्वारा की जा रही हो या शंटिंग इंजन द्वारा। लेकिन यदि पटरी से उतरा हुआ वाहन/उतरे हुए वाहन किसी गाड़ी का अंग न हों तो पटरी से उतरने की दुर्घटना का वर्गीकरण 'पटरी से उतरने की अन्य दुर्घटना' के रूप में किया जायेगा भले ही शंटिंग गाड़ी इंजन द्वारा किया जा रहा हो या शंटिंग इंजन द्वारा।

(iii) जो गाड़ी पूर्णतः या अंशतः यात्रियों के परिवहन के लिए हो वह सवारी गाड़ी समझी जायेगी। अन्य सभी गाड़ियां अन्य गाड़ियों की कोटि के अन्तर्गत आयेंगी।

(iv) गाड़ी की दुर्घटना उस रेलवे की मानी जायेगी जिसके क्षेत्राधिकार में दुर्घटना स्थल हो। इंजन की खराबी उस रेलवे की समझी जायेगी जिसका इंजन होगा।

7. **चोट की परिभाषा —**

(i) रेल कर्मचारी तभी 'घायल' व्यक्ति समझा जायेगा जब वह किसी दुर्घटना में घायल हुआ हो और दुर्घटना के बाद 48 घंटे के दौरान काम पर वापस आने से रोका गया हो।

(ii) जनता का कोई व्यक्ति 'घायल' नहीं समझा जायेगा यदि उसे आई हुई चोटें मामूली रगड़ या खरोंच हो या ऐसी हो जिसके कारण रिपोर्ट देने वाले अधिकारी की राय में घायल व्यक्ति अपने दैनिक कार्य या जीवन यापन में दो दिनों से अधिक असमर्थ न हो। यह नियम उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा जिनका वर्गीकरण 'यात्री' या 'अनाधिकार प्रवेश करने वाला' के रूप में किया गया हो।

(v) Collisions/derailments in the course of operations other than the operation of trains, as herein defined, in marshalling yards, sidings, etc., should be separated from the train accidents and recorded under the heads 'Other' collisions/derailments.

6. *Definition of train accidents.*

(i) A train is a set of vehicles empty or loaded worked by locomotive, or any other self propelled unit, or rail-motor vehicle or a single rail-motor vehicle empty or conveying passengers, livestock, parcels or goods when running under a particular number or a distinct name from fixed point of departure to a fixed destination. Part of a train should also be treated as train for the purpose of these statistics. A sectional carriage (or carriages) will not be treated as part of a train until it is put on to a train. The train engine or any other vehicle once put on the train continues to be a part of the train until the station is reached beyond which it is not required to go on the same train. At such stations, the moment the train engine or any other vehicle is cut off the load, it ceases to be a part of the train.

(ii) Derailment during reversing or shunting operations, etc., on an incoming, outgoing or any other load, including a sectional carriage, etc., shall be deemed to be a 'train derailment' only when the train engine or a vehicle still forming a part of the train derails, irrespective of whether the shunting was being done by the train engine or by a shunting engine. If, however, the derailed vehicle/vehicles do not form part of a train, the derailment would be classified as 'other derailment' whether shunting etc., was being done by the train engine or by a shunting engine.

(iii) A train intended solely or partly for the carriage of passengers shall be treated as passenger train. All other trains will come under the category of 'other trains'.

(iv) Accidents to trains shall be accounted for by the Railway which exercises jurisdiction over the site of accident. Engine failures shall be accounted for by the Railway owning the engines.

7. *Definition of injuries.*

(i) A railway servant is to be considered as an 'injured' person when injured in an accident and prevented from returning to work during 48 hours next after the occurrence of the accident.

(ii) A member of the public is not to be considered an 'injured' person when the injuries received are only petty abrasions or bruises or injuries which, in the opinion of the reporting officer, do not incapacitate the injured person from following the customary vocation or mode of life for a period of more than two days. This rule also applies to employees classed as 'passengers' or 'trespassers'.

(*iii*) चोट के आंकड़े निम्न रूप में अलग-अलग दिखाये जाने चाहिए :—

(क) गम्भीर

(ख) मामूली

इन आंकड़ों के लिए 'गम्भीर' चोट उसी को समझा जायेगा जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में यथा परिभाषित 'गहरी चोट' लगी हो । तत्काल हवाले के लिये उसे नीचे उद्धृत किया जाता है ।

भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 320 केवल निम्न प्रकार की चोट ही 'गहरी' मानी जाती है :—

(*i*) पुंसत्वहरण

(*ii*) किसी एक आंख की दृष्टि से स्थायी रूप से वंचित हो जाना ।

(*iii*) किसी एक कान से सुनने से स्थायी रूप से वंचित हो जाना ।

(*iv*) किसी अंग या जोड़ से वंचित हो जाना

(*v*) किसी अंग या जोड़ की शक्ति नष्ट हो जाना या स्थायी रूप से शक्ति-हीन हो जाना ।

(*vi*) सिर या चेहरे का स्थायी रूप से विकृत हो जाना ।

(*vii*) हड्डी या दांत टूट जाना या हट जाना ।

(*viii*) किसी प्रकार की चोट जिससे जान खतरे में हो या जिससे 20 दिन तक पीड़ित के शरीर में बहुत पीड़ा रहे या वह सामान्य कार्य करने में असमर्थ रहे।

इन नियमों के लिए 'मामूली' चोट के अन्तर्गत छोटी-मोटी चोट या रगड़ या खरोंच आदि, दुर्घटना के बाद 48 घंटे तक घायल व्यक्ति अपना दैनिक कार्य करने में असमर्थ न हो सके, शामिल नहीं होगी ।

8. विवरणियों में शामिल की जानी वाली रेल कर्मचारियों की श्रेणियां:—

(*i*) स्टेशनों पर नियोजित सभी व्यक्ति जिनमें पुलिस भी शामिल है ।

(*ii*) रेलपथ और निर्माण के अनुरक्षण के लिए नियोजित सभी व्यक्ति ; इसमें विशेष निर्माण कार्यों के लिए लगाये गये व्यक्ति शामिल नहीं हैं अर्थात् रेलवे के उन निर्माण-कार्यों के लिए लगे व्यक्ति जिन्हें गाड़ी संचालन से कोई खतरा न हो । उदाहरणार्थ—नदी में ठोकरों का निर्माण जिसके लिए रेल कार्य वाले लोग नियोजित किये जाते हैं ।

(*iii*) गाड़ियों या रनिंग इंजनों पर नियोजित सभी व्यक्ति और सभी फाटक वाले ।

(*iv*) लोको यार्ड और शेडों में काम करने वाले रेल कर्मचारी ।

9. 1 से 7 तक की तालिकाओं के संकलन के विषय में मार्ग-दर्शन के लिए निम्नलिखित सामान्य अनुदेश दिये जाते हैं :—

(*i*) तालिका 1 से 3 तक के अन्तर्गत भेजी जाने वाली दुर्घटनाओं को प्रत्येक आमान और सम्पूर्ण रेल प्रणाली के अलग-अलग विवरणों में दिखाया जायेगा ।

(*iii*) The statistics of injuries should be stated separately under :—

(*a*) *Serious*

(*b*) *Minor*

'*Serious*' injuries for purpose of these statistics should be taken as injuries resulting in 'grievous hurt' as defined in Section 320 of Indian Penal Code reproduced below for ready reference.

Section 320, Indian Penal Code (45 of 1860)

The following kinds of hurt only are designated as 'grievous' :—

(*i*) Emasculation.

(*ii*) Permanent privation of the sight of either eye.

(*iii*) Permanent privation of the hearing of either ear.

(*iv*) Privation of any member or joint.

(*v*) Destruction or permanent impairing of the powers of any member or joint.

(*vi*) Permanent disfiguration of the head or face.

(*vii*) Fracture or dislocation of a bone or tooth.

(*viii*) Any hurt which endangers life, or which causes the sufferer to be, during the space of twenty days, in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits.

'*Minor*' injuries for the purpose of these rules shall exclude trivial injuries or abrasions or bruises etc., which would not incapacitate the injured person to follow his customary vocation during 48 hours after the occurrence of the accident.

8. *Classes of railway servants to be included in the returns* :—

(*i*) All persons employed at stations, including police.

(*ii*) All persons employed in the maintenance of way and works exclusive of men detailed for special works, that is, for railway works involving no risk from the working of trains, e. g., the construction of spurs in a river on which railway work-people are employed.

(*iii*) All persons employed on trains or running engine; all gate-keepers.

(*iv*) Railway servants working in loco yards and sheds.

9. For guidance in the matter of compilation of Tables 1 to 7 the following general instructions are given:—

(*i*) The accidents given in Tables 1 to 3 shall be given separately for each gauge as well as for the system as a whole.

(*ii*) फार्म में चिन्हित तालिका 1 से 3 में शामिल की गई दुर्घटनाओं में से निम्न प्रकार की दुर्घटनाएं, जिनकी भारतीय रेल अधिनियम 1890 (1890 का 9) की धारा 83 के अन्तर्गत राज्य सरकार को रिपोर्ट दी जाती है, फार्म के कालम 2, जिसका शीर्षक "स्थानीय सरकार को सूचित की गई दुर्घटनाएं" हैं, में शामिल की जायेंगी :—

(क) गाडियों में टक्कर जिनमें से एक यात्री गाड़ी हो ।

(ख) यात्रियों को ढोने वाली किसी गाड़ी का पटरी से उतर जाना या ऐसी गाड़ी के एक भाग का पटरी से उतर जाना ।

(ग) सवारी गाड़ियों में तोड़-फोड़ करना या तोड़-फोड़ के लिए किया गया प्रयास ।

(घ) सवारी गाड़ी में आग लग जाना ।

(ङ) समपार वाले फाटकों पर सवारी गाड़ी का सड़क यातायात से टकरा जाना ।

(च) लाइन पर रखे गये अवरोधों के ऊपर से यात्री गाड़ियों का गुजर जाना जो खण्ड (ग) और (ङ) में उल्लिखित घटनाओं से भिन्न हों ।

(छ) वर्षा या बाढ़ से भूस्खलन या टूट-फूट जिससे कम से कम 24 घंटे के लिए महत्वपूर्ण गाड़ियों के सीधे आवागमन में अवरोध पैदा हो ।

(ज) किसी अन्य कोटि की दुर्घटना, जो तालिका 1 से 3 में शामिल हो लेकिन जो ऊपर न दिखायी गयी हो, जिसमें जन-जीवन की हानि हो या 'गहरी चोट' जैसी कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 में परिभाषित हैं, लगी हो या जिसमें रेल संपत्ति की भारी क्षति हुई हो ।

(*iii*) तालिका 1–इसमें चालू लाइन पर गाड़ियों की दुर्घटनाओं की संख्या और उसके परिणाम शामिल किये जायेंगे । गाड़ियों की दुर्घटनाओं में गाड़ियों की टक्करें, गाड़ियों का पटरी से उतरना, गाड़ियों में आग (विस्फोट शामिल हैं) और समपारों पर हुई दुर्घटनाएं, जिनमें गाड़ियां सम्मिलित हों, शामिल होंगी । गाड़ियों और ठेला ट्रालियों में टक्करों के मामले इस तालिका में शामिल नहीं होंगे । इन्हें तालिका 3 की मद 6 में दिखाया जायेगा । मध्यवर्ती खण्डों में और स्टेशन सीमा में गाड़ियों के पटरी से उतरने के सम्बन्ध में आंकड़े अलग-अलग देने चाहिए । गाड़ियों की तोड़-फोड़ के कारण अर्थात् रेलपथ बनावट, संरचना अथवा उपस्कर के साथ छेड़छाड़ या जानबूझ कर अवरोध उत्पन्न करने के कारण गाड़ी के पटरी से उतरने या गाड़ियों की गम्भीर क्षति होने के मामलों को अलग-अलग मद संख्या 2.01 (अ) (घ), 2.01 (ब) (घ), 2.02 (अ) (घ) और 2.02 (ब) (घ) "गाड़ियों की तोड़-फोड़/अवरोधन" शीर्षक के अन्तर्गत दिखाना चाहिए । ऐसे मामलों को जहां जानबूझ कर तोड़-फोड़ की भावना न हो, 2.01 (अ) (ख), 2.01 (ब) (ख), 2.02 (अ) (ख) और 2.02 (ब) (ख) के अन्तर्गत दिखाया जाना चाहिए । इस तालिका में गाड़ियों में आग के आंकड़े देते समय उन सभी मामलों को शामिल किया जायेगा जिसमें कोई मरा हो या घायल हुआ हो या रेल संपत्ति को 500 रुपये और अधिक की

(*ii*) Of the accidents included in the forms marked Table 1 to 3, the accidents of the following description, which are reportable to the State Government shall be included under Col. 2 thereof entitled 'Accidents reported to Local Government' under section 83 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890):—

(*a*) Collision between trains, of which one is a passenger train.

(*b*) Derailment of any train carrying passengers or part of such a train.

(*c*) Train wrecking or attempted train wrecking involving passenger train.

(*d*) Fire in passenger train.

(*e*) Passenger train running into road traffic at level crossing gate.

(*f*) Passenger train running over obstructions placed on the line, other than those stated in clauses (c) ano (e) above.

(*g*) Land slides or breaches by rain or flood which cause interruption to any important through line communication for at least 24 hours.

(*h*) Any other categories of accidents included in the Tables 1 to 3 but not covered above, attended with loss of human life or with grievous hurt as defined in Section 320 of Indian Penal Code or with serious injury to railway property.

(*iii*) **Table 1**–shall include the number and outcome of train accidents on open lines. Train accidents constitute train collisions, train derailments, fires (including explosions) in trains and train accidents at level crossings. The cases of collisions between trains and push trolleys shall not be included under this table. These shall be shown against item 6 of Table 3. The data on train derailments should be given separately in respect of derailments in the mid-sections and derailments within station limits. Train derailments or serious damage to trains occurring due to train wrecking, that is, as a result of wilful obstruction or tampering with permanent way, formations structures or equipment should be shown against 2.01A (d), 2.01B (d), 2.02A (d) and 2.02B (d)—'Train wrecking'/sabotage. Cases, where there was no intention of sabotage should be reported against item 2.01 A (b), 2.01 B(b), 2.02 A(b) and 2.02 B(b). The statistics of fire in trains reported under this table should include all cases where it results in death or injury or damage to property amounting to Rs. 500 and above. Cases

क्षति हुई हो। 500 रुपये से कम की क्षति के मामले तालिका 3 में 'विविध दुर्घटना' के अन्तर्गत दिखाने चाहिए। 'गाड़ियों में आग' के मामलों के सम्बन्ध में सवारी और मिश्रित गाड़ियों, ई० एम० यू० और अन्य गाड़ियों के लिये रिपोर्ट अलग-अलग देनी चाहिये। ई० एम० यू० में आग के अन्तर्गत केवल वही मामले दर्ज किये जायेंगे जिनमें ई० एम० यू० के यात्री डिब्बे में आग लग जाये। लेकिन यदि ऐसी आग निम्न/उच्च स्टेशन डिब्बों तक ही सीमित रहे तो उसे बिजली/डीजल इंजनों में आग का मामला समझा जायेगा और उसे तालिका 2 की मद 1.05 में शामिल किया जायेगा। समपारों पर गाड़ी दुर्घटना की कोटि में समपारों पर सड़क यातायात से गाड़ी का टकराना और/या सड़क यातायात का गाड़ी से टकराना सम्मिलित होगा। समपारों पर खाली इंजनों के साथ हुई दुर्घटनाओं को समपार को ऐसी दुर्घटनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए जिनमें गाड़ियां शरीक न हों और उन्हें तालिका 3 की मद 11 (क) और 11 (ख) में शामिल किया जाना चाहिए। सवारी और अन्य गाड़ियों के लिए चौकीदार और बिना चौकीदार वाले समपारों के लिए अलग-अलग आंकड़े देने चाहिए।

(*iv*) **तालिका 2**–रेल उपस्करों की खराबी को चल स्टाक, रेलपथ, बिजली के ऊपरी तार और सिगनल उपस्कर की खराबी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जायेगा। इंजनों की खराबी की संख्या को दो कोटियों में बांटना चाहिए—'समय परक' (अर्थात् गाड़ियों पर इंजन की खराबी जबकि गाड़ियों को विलम्ब भाप इंजन के मामले में एक घंटा या अधिक हो और डीजल तथा बिजली इंजनों के मामले में 30 मिनट या अधिक हो और 'अन्य खराबियां (यार्ड में शंटिंग इंजन की खराबियां शामिल नहीं की जायेंगी)। भाप, डीजल और बिजली रेल इंजनों की खराबी के मामले अलग-अलग दिखाये जायेंगे। आग के कारण डीजल बिजली रेल इंजनों की खराबियां इस तालिका की मद 1.05 में दिखायी जायेंगी।

(*v*) यार्डों में घटने वाली खराबी के मामलों को (चालू लाइनों पर हुई खराबी के मामलों को छोड़ कर) मद 6.01, 6.02 और 6.03 में रेलपथ की खराबी के मामलों की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार रेलपथ कर्मचारियों द्वारा सामान्य अनुरक्षण के दौरान पटरी की टूट-फूट के जो मामले पकड़ में आवें उन्हें मद 6.04 में टूटी हुई पटरियों के मामलों की रिपोर्ट में शामिल नहीं करना चाहिए।

(*vi*) इंजन की असांख्यिकीय खराबियों के मामले भाप, डीजल और बिजली इंजनों के लिए तालिका 2 की मद 5 में अलग-अलग दर्ज किये जायेंगे। इंजन की असांख्यिकीय खराबियों की गिनती के लिए निम्नलिखित हालतों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिये :—

(क) बाहरी स्टेशन/टर्मिनल यार्ड/शेड में इंजन का फेरा समाप्त होने के बाद मरम्मत के लिए जाना और वापसी फेरे के लिए उपलब्ध न होना।

(ख) भारी अनुसूचित मरम्मत या टर्बो आदि जैसे बड़े पुर्जों के बदलने के बाद परीक्षण के लिए बुक किये गये इंजनों का चलती गाडियों पर खराब होना।

involving damages less than Rs. 500 should be accounted for under 'Miscellaneous accidents in Table 3'. 'The cases of fires in trains' should be reported separately for 'Passenger and mixed trains', 'EMU stock' and 'Other trains'. Under item 'Fires in EMU stock', only those cases should be lodged where the fires spread out to passenger compartments of EMU stock. If, however,such fires confine to low/high tension compartment only, they should be treated as the cases of fires in electric/diesel engines and shall be included against item 1.05 in Table 2. The category of accidents involving trains at level crossings should include trains running into road traffic and/or road traffic running into trains at level crossings. The accidents at level crossings involving light engines should be classified as accidents at level crossings not involving trains and included against items 11 (*a*) and 11 (*b*) of Table 3. Separate figures should be given for manned and un-manned level crossings for passenger and other trains.

(*iv*) **Table 2**—Failure of railway equipment shall be classified under rolling stock, permanent way, electric overhead wire and signalling apparatus failures. The number of failures of engines should be further split up into two categories—time failures (i.e.,failures of engines on train when the delay to trains is one hour or over in case of steam loco and 30 minutes and over in case of diesel and electric loco) and other failures (failures of shunting engines in yards are not be included). The cases of failures of steam, diesel and electric locomotives shall be shown separately. Failure due to fires in diesel and electric locomotive shall be shown against item 1.05 of this table.

(*v*) The cases of failure occurring in yards except those on running lines should be excluded while reporting the cases of failure of permanent way against items 6.01,6.02 and 6.03. Similarly the cases of rail fractures detected by permanent way staff during normal maintenance should be excluded while reporting the cases of broken rails against item 6.04.

(*vi*) The cases of non-statistical engine failures shall be reported separately for steam, diesel, and electric against item 5 of this table. For reckoning a non-statistical engine failures, the following conditions and circumstances should be observed :—

(*a*) Locos going under repair at the end of its trip at out-station/terminal yard/shed and not being available for the return trip.

(*b*) Failures on locos booked on trial after heavy schedules or change of major components like turbo, etc., while working loads.

(ग) उन इंजनों का खराब हो जाना, जिनकी अनुसूचित मरम्मत में 24 घंटे से अधिक का विलम्ब हो गया हो, विशेष कर उन पुर्जों की खराबी के कारण जिन पर अनुसूचित मरम्मत के दौरान ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(घ) मौसम की खराबी के कारण चालन के दौरान अत्यधिक विलम्ब (60" से अधिक) वाले मामले ।

(ङ) अधिक लदान (निर्धारित भार से अधिक) होने के कारण अत्यधिक विलम्ब (60" से अधिक) वाले मामले ।

(*vii*) तालिका 3—विविध दुर्घटनाएं—इसमें गाड़ियों की निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं के साथ-साथ अन्य दुर्घटनाएं जिनमें गाड़ियां सम्मिलित न हों, शामिल की जायेंगीं :—

(क) लाइन पर मवेशी के ऊपर से गाड़ी का गुजर जाना लेकिन पटरी से न उतरना ।

(ख) गाड़ी में तोड़-फोड़ करने के लिए किया गया प्रयास ।

(ग) अवरोधों के ऊपर से गाड़ी का गुजर जाना लेकिन पटरी से न उतरना (वे दुर्घटनाएं जो उपर्युक्त स्थितियों में नहीं आतीं या समपार गाड़ी दुर्घटनाओं की कोटियों में नहीं आतीं) ।

(घ) सवारी गाड़ियों का कांटों से गलत दिशा की ओर चले जाना लेकिन पटरी से न उतरना ।

(ङ) गाड़ियों में आग, जिसमें विस्फोट भी शामिल है, के ऐसे मामले जिनमें हुई क्षति 500 रुपये से कम की हो ।

(च) खाली इंजनों या/और वाहनों या/और मालडिब्बों के बीच या खाली इंजनों और ठेला ट्रालियों के बीच टक्करों और पटरी से उतर जाने के मामले ।

(*viii*) तालिका 4–इसमें, तालिका 1 से 3 तक में उल्लिखित दुर्घटनाओं को छोड़कर, चालू लाइन पर गाड़ियों और रेल वाहनों के संचालन के कारण मृत या घायल व्यक्तियों की संख्या तीन भागों में शामिल होगी अर्थात् 1 यात्री, II रेल कर्मचारी और III अन्य ।

(*ix*) तालिका 5—इसमें रेलवे की चालू लाइन पर ऐसी दुर्घटनाओं में मृत या घायल व्यक्तियों की संख्या शामिल होगी जो तालिका 1 से 4 तक के प्रोफार्मा के किसी भी वर्गीकृत शीर्षक के अन्तर्गत न आती हों अर्थात् उन दुर्घटनाओं में जिनका सम्बन्ध वाहनों के संचालन से न हो ।

(*x*) रेल संचालन से असम्बन्द्ध कारणों से हताहत, जैसे प्राकृतिक कारणों से डिब्बों में या स्टेशनों पर यात्रियों की मृत्यु या स्टेशन की सीमा के अन्दर कुओं में गिरने या कुओं अथवा तालाबों में डूबने से अन्य व्यक्तियों की मृत्यु के मामले इस विवरणी की तालिका 5 में शामिल नहीं किये जायेंगे । साथ ही इस तालिका में मामूली रगड़ें या खरोंच, जो किसी व्यक्ति के सामान्य कार्य-निर्वाह करते समय लगती है, शामिल नहीं की जायेंगी । इस प्रकार की दुर्घटनाओं को इन विवरणियों में बिल्कुल नहीं दिखाया जावेगा ।

(*c*) Failures of locos which are overdue by more than 24 hours, particularly if the components that fail need attention during the schedule.

(*d*) Cases of heavy time losses (more than 60") on the run as a result of inclement weather.

(*e*) Cases of heavy time losses (more than 60") due to overload (load being more than specified).

(*vii*) **Table 3**—Miscellaneous accidents—shall include the following category of accidents to trains in addition to other accidents not involving trains :—

(*a*) Trains running over cattle on the line but not derailed.

(*b*) Attempted train wrecking.

(*c*) Trains running over obstructions but not derailed (which are not covered under the above circumstances or under the train accidents at level crossings.)

(*d*) Passenger trains running in wrong directions through points but not derailed.

(*e*) Fires including explosions in trains when the amount of damage done is less than Rs. 500.

(*f*) The collisions and derailments between light engines or/and vehicles or/and wagons or those between light engines and push trolleys.

(*viii*) **Table 4**—shall include the number of persons killed and injured by the movement of trains and railway vehicles (on open lines) exclusive of accidents covered by Tables 1 to 3 in three parts viz., I Passengers, II Railway servants and III Others.

(*ix*) **Table 5**—shall include the number of persons killed or injured by accidents on open lines of railway not coming under any of the classified heads in the proformae of Tables 1 to 4 i. e., by accidents in which the movement of vehicles was not concerned.

(*x*) Casualties from causes unconnected with railway working, such as death of passengers in carriages or at stations, from natural causes, or to other persons, such as cases of falling into wells or of drowning in wells or ponds, within the station limits of a railway, shall not be included in Table 5 of the returns, nor shall slight abrasions or bruises which are incidental to a man's ordinary duties, be included in the said table. Such type of accidents shall not figure at all in these returns.

(*xi*) तालिका 6–इसमें निम्न प्रकार की दुर्घटनाएं शामिल होंगी :—

(क) रेल कर्मशालाओं में, या

(ख) नये निर्माण कार्यों पर जो यातायात के लिए न खुला हो, या

(ग) निर्माणाधीन लाइनों पर, या

(घ) उन लाइनों पर जिनका उपयोग सार्वजनिक यात्रियों, मवेशियों या माल के ढोने के लिये नहीं किया जाता, या

(ङ) रेलों के काम से सम्बन्धित स्टीमरों या फ्लैटों पर हुई दुर्घटनाएं ।

(*xii*) तालिका 7—इसमें वाहनों या इंजनों की शंटिंग के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं या तालिका 4 में शामिल अन्य कारण से होने वाली दूसरी दुर्घटनाओं के कारण मृत या घायल रेल कर्मचारियों की संख्या शामिल होगी । इस तालिका की मद 1 से 5 तक का जोड़ तालिका 4 में दिखाये गये रेल कर्मचारियों की हताहत संख्या से मेल खाना चाहिये ।

(*xi*) Table 6—shall include the following type of accidents :—

(*a*) in railway workshops; or

(*b*) on new works not opened for traffic; or

(*c*) on lines under construction; or

(*d*) on lines not used for the public carriage of passengers, animals or goods; or

(*e*) to steamers or flats working in connection with railways.

(*xii*) Table 7—shall include the number of railway servants killed or injured due to accidents occurred during shunting of vehicles or engines and other accidents (included in Table 4) under various causes. The total of items 1 to 5 of this table should tally with the number of casualties to railway servants given in Table 4.